राजस्थान विधान सभा

७४ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक १७ सितम्बर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्यान्ह पूर्व ८-१० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १८२६

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द पालीवाल ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित, कृपया प्रश्नोत्तर आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १८२७

भूतपूर्व जैसलमेर राज्य द्वारा सर्वे तथा वहां पेट्रोलियम प्राप्ति की संभावना

श्री हनवन्तसिंह—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूतपूर्व जैसलमेर राज्य द्वारा कोई गवेषणा (सर्वे) करवाई गई थी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त सर्वे द्वारा जैसलमेर में पेट्रोलियम की प्राप्ति पर विश्वास प्रगट किया गया था ?

(ग) क्या यह भी सही है कि वह सर्वे रिपोर्ट खो गई है और कहीं भी उपलब्ध नहीं हो रही है ?

(घ) क्या सरकार इस सर्वे को दुबारा करवायेगी ?

Page No.2

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) नहीं। यद्यपि इस क्षेत्र की जियोलॉजिकल सम्बन्धी जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट Sir cyrel fox द्वारा महा रावल जैसलमेर को पेश की गई थी।

(ख) हां।

(ग) इस रिपोर्ट की एक कापी राजस्थान खनिज विभाग में उपलब्ध है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हनवन्तसिंह—सर्वे कराने का प्रश्न क्यों नहीं उठता ?

श्री चन्दनमल वैद—क्योंकि पूरी सर्वे ही करके नहीं दी गई। इसके बाद एक कम्पनी को अब पूरी सर्वे करने का और सब बातें देखने का लाइसेन्स दिया गया है, वह कम्पनी अब वहां जा कर कार्य करेगी।

श्री अध्यक्ष—श्री मोहम्मद इब्राहिम।

प्रश्न संख्या १८२८

कामां तहसील में ग्राम विराल, पथराली इत्यादि में मेवों को १९५४ में अलॉट की गई भूमि

श्री मोहम्मद इब्राहीम—क्या पुनर्वास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

कामा तहसील में मौजा विराल, मौजा पथराली एवं अन्य मौजों में सन् १९५४ में मेवों को जो जमीनें अलाट हुई थीं वे उनसे क्या वापिस छीनी गई व ये जमीनें उनको वापिस कब लौटाई जायंगी।

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—कामा तहसील में मौजा बराल तथा मौजा पथराली में सन् १९५४ में मेवों से जमीन सिटिंग टीनेन्ट्स को संतुष्ट करने के लिये ली गई है।

यदि यह जमीन सिटिंग टिनेन्ट्स को गलत तरीके पर दी गई है तो सम्बन्धित मेवो को वापिस लौटा दी जायंगी ?

श्री मोहम्मद इब्राहीम—कब वापिस लौटा दी जायंगी ?

Page No.3

श्री भोलानाथ—हरेक मेव के क्लेम देखे जा रहे हैं, उसके बाद अगर यह मालूम हुआ कि गलत तरीके से दे दी गई हैं तो वापिस लौटा दी जायगी।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—क्या क्लेम देखे जा रहे हैं ?

श्री भोलानाथ—सीटिंग टिनेन्ट्स के और जिनको जमीनों से डिस्टर्ब कर दिया गया था उन दोनों के क्लेम देखे जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—सीटिंग टिनेन्ट्स सम्वत् २००३ के काश्तकारों को माना गया है या २०१० के काश्तकारों को।

श्री भोलानाथ—सीटिंग टिनेन्ट उसको माना गया है जो उस वक्त काश्त करता था।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—किस सन् में काश्त करता था ?

श्री भोलानाथ—किसी भी सन् में। अगर १९५४ में दी गई है तो ५३ में काश्त कर रहा था और अगर ५३ में दी गई है तो ५२ में काश्त कर रहा था।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—यह कामा तहसील में ही इस तरह जमीनें छीनी गई हैं या दूसरी नगर, पहाड़ी में छीनी भी गई हैं ?

श्री भोलानाथ—इसमें तहसीलों का सवाल नहीं है, गलती से किसी सीटिंग टिनेन्ट को दे दी गई है तो उसे वापिस लौटा दिया जायगा। सिर्फ कामां तहसील का ही पूछा गया है, इसलिए मैंने कामां के बाबत जवाब दिया है।

श्री कंवरलाल जेलिया—अब तक की जानकारी के आधार पर क्या सरकार मानती है कि जमीनें छीन ली गई थीं ?

श्री भोलानाथ— आपने जवाब सुनने की कोशिश की होती तो यह प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं आती।

प्रश्न संख्या १८२९ व १८३०

(ये प्रश्नोत्तर बाद में लिये गये हैं)

प्रश्न संख्या १८३१

जिला जैसलमेर में खोला जाने वाला आयुर्वेदिक औषधालय

श्री हनवन्तसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री हनवन्तसिंह]

(क) क्या जिला जैसलमेर में कोई आयुर्वेदिक औषधालय खोला जायगा ?

(ख) यदि हां तो कहां २ ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री हनवन्तसिंह—जैसलमेर जिले में औषधालय क्यों नहीं खोला जायगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह सब आवश्यकताओं पर निर्भर है ।

श्री हनवन्तसिंह—आवश्यकता कब पड़ेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जब कुछ आबादी बढ़ेगी या बीमारी बढ़ेगी ।

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—बीमारी बढ़ाने के लिये गवर्नमेंट क्या कर रही है ?

(हंसी)

श्री कुम्भाराम आर्य—गवर्नमेंट को बीमारी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वह तो बीमारी को दबाती है । आपको ज्यादा उत्सुकता है इसलिये कहा है ।

श्री हिम्मतसिंह—जैसलमेर में बीमारी नहीं होती है तो क्या वहां सेनिटोरियम खोला जायगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसी बात नहीं है, वहां पशु ज्यादा अच्छे होते हैं ।

श्री हनवन्तसिंह—अगर यह बात है और बीमारी नहीं है तो जो २ डॉक्टर वहां पर हैं, उन अस्पतालों को बन्द करके उनको वापिस क्यों नहीं बुला लिया जाता ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वहां जो खुलवा रखे हैं, उनको वापिस नहीं लिया जायगा ।

प्रश्न संख्या १८३२

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द पालीवाल ।

(यह प्रश्नोत्तर बाद में लिया गया है)

प्रश्न संख्या १८३३

टोंक राज टाकीज को पुनः चालू कराना तथा ठेकेदारों में शेष रकम की वसूली

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री रामरतन टिक्कीवाल]

(क) टोंक राज टॉकीज़ कितने समय से और क्यों बन्द पड़ा हुआ है उसकी क्या हाल है ?

(ख) क्या सरकार अब उसे शीघ्र ही चालू करने का विचार रखती है ?

(ग) इस टॉकीज़ की रकम किन किन ठेकेदारों में ४८ से ५३ तक बाकी है और सरकार की ओर से वसूली की क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—यह प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है और सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ही इसका अपनी टर्न पर जवाब देंगे ।

श्री अध्यक्ष—१० सितम्बर के प्रश्न ।

प्रश्न संख्या १७४५

श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या १७४५

राजस्थान में स्ट्रॉ बोर्ड बनाने के कारखाने

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में स्ट्रॉ बोर्ड बनाने के कितने कारखाने है ?

(ख) उक्त कारखानों में पिछले ५ सालों में कितना माल तैयार कराया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि स्ट्रॉ बोर्ड बनाने के लिये राजस्थान में रॉ मेटीरियल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) राजस्थान में स्ट्रॉ बोर्ड बनाने का कोई कारखाना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कुछ वस्तुएं जैसे सिनिया घास इत्यादि पर्याप्त हैं ।

श्री चांदमल मेहता—फिर यहां स्ट्रॉ बोर्ड का कारखाना नहीं खोलने का क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद—अगर कोई कारखाना खोला जाय तो उसको वाजिब रियायतें दी जायंगी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति ने कारखाना खोलने के लिये सरकार के पास आवेदन पत्र दिया है ?

श्री चन्दनमल वैद—दो साल पहले ३ व्यक्तियों ने इसके लिये मन्जूरी ली थी; सरकार की ओर से उन्हें वाजिब सहायता के लिये आश्वासन दिया गया था, पर उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उन्हें जो आश्वासन दिया गया था, वह कार्यान्वित नहीं होने से, उन लोगों ने कारखाने नहीं खोले ?

श्री चन्दनमल वैद—नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली।

श्री चांदमल मेहता—उन्होंने क्या क्या सुविधाएं मांगी थीं ?

श्री चन्दनमल वैद—वही जो सुविधाएं आम तौर से कारखाना खोलने वालों को दी जाती हैं, जैसे कारखाना खोलने के लिये जमीन देना, बाहर से मशीनरी मंगाने पर कस्टम माफ कर देना आदि। पर उन्होंने आज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद कोई दिलचस्पी ही नहीं ली और उनका अब पता नहीं है कि वे अब कहां हैं, उन्होंने कोई कारखाना नहीं खोला।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७४६

अलवर-भरतपुर में मस्जिदों से मन्दिर, गुरुद्वारे हटाना

श्री मोहम्मद इब्राहीम—क्या पुनर्वास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४४ से लेकर अब तक अलवर, भरतपुर दोनों जिलों में कितनी ऐसी मस्जिदें खाली कराई गईं जिनमें या तो लोग आबाद थे या सरकारी स्कूल थे या मन्दिर तथा गुरुद्वारे बने हुए थे ?

(ख) क्या अब भी इन दोनों जिलों में ऐसी मस्जिदें हैं जिनमें लोग आबाद है ? यदि हां, तो कितनी ऐसी है जिनमें सरकारी स्कूल है तथा कितनी में गुरुद्वारे तथा मन्दिर है ? कब तक इन मस्जिदों को खाली कराया जावेगा ?

(श्री भोलानाथ के कुछ क्षणों तक निस्तब्ध बैठे रहने पर)

श्री अध्यक्ष—उत्तर दीजिये। प्रश्न यह है :

सन् १९४४ से लेकर अब तक अलवर, भरतपुर दोनों जिलों में कितनी ऐसी मस्जिदें खाली कराई गईं जिनमें...

(पुनर्वास मन्त्री की अनुपस्थिति में)

Page No.7

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—इसका जवाब कब तक दिया जायगा ?

श्री भोलानाथ—यह प्रश्न काफी गम्भीर बना हुआ है, राजनैतिक दृष्टि से भी देखने का है, इस बारे में पुनर्वास मन्त्री जो बाहर गये हुए हैं, वापिस लौटने पर शीघ्र ही जवाब देंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—बाहर कहां गये हैं ? क्या पाकिस्तान गये हैं ?

श्री भोलानाथ—नहीं ऐसी बात नहीं है, हिन्दुस्तान में ही काफी मामले हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७४७

राजस्थान में कागज बनाने के उद्योग को प्रोत्साहन देना

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कागज़ बनाने के उद्योग कहां २ चल रहे हैं ?

(ख) उक्त उद्योगों से प्रति वर्ष कितना कागज़ बनाया जाता है ?

(ग) क्या यह सही है कि राजस्थान के निर्माण के बाद ऐसे कारखाने बन्द होते जा रहे हैं।

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

(ङ) सरकार इन कारखानों को प्रोत्साह देने के लिये क्या योजना रखती है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—(क) राजस्थान में हाथ से बनाने के कागज़ कारखाने निम्नलिलित स्थानों में है : सांगानेर, गोसुन्डा, कोटा व सवाई माधोपुर।

(ख) सांगानेर में करीब ३५०० रिम १,०७,८५९ रु० के मूल्य का कागज तैयार होता है। गोसुन्डा के कागज का कारखाना बन्द है, कोटा व सवाई माधोपुर के आंकड़े तैयार नहीं हुए हैं।

(ग) हां।

(घ) हाथ से बनाया हुआ कागज़ मिल के मुकाबले में कुछ मंहगा रहता है, इस वास्ते बिक्री कम है।

[श्री चन्दनमल वैद]

(ङ) सरकार ने अखिल भारतीय खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा सांगानेर में हाथ से कागज बनाने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ५०,००० रु० का ऋण मशीनरी लगाने को प्राप्त किया है और मोटर व मशीनें पहुँच चुकी हैं और १५ रोज में कार्य चालू होने की आशा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान गवर्नमेंट ने उक्त सोसाइटी को २०,००० रु० का कर्ज दिया। गोमुन्डा व कोटा के लिये भी उक्त बोर्ड से १०,००० रु० की सहायता प्राप्त करने की आशा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों ने इस कागज को प्रोत्साहन देने के लिए खास तौर से आज्ञाएं जारी की थीं कि अमुक अमुक काम के लिये ऐसा कागज़ इस्तेमाल किया जाय ?

श्री चन्दनमल वैद—इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के अब भी कोई आदेश हैं कि हाथ के बने कागजों को सरकार के अमुक अमुक कामों में काम में लिया जाय ?

श्री चन्दनमल वैद—डॉक्युमेन्ट्स के लिए हाथ के बने कागज इस्तेमाल किये जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार आयन्दा इसको उपयोग में लाने के लिए आदेश जारी करेगी ?

श्री चन्दनमल वैद—सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्थान में कोई मशीन से चलने वाला कारखाना है ?

श्री चन्दनमल वैद—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के पास इस प्रकार का कारखाना खोलने की योजना है ?

श्री चंदनमल वैद—ऐसी कोई योजना नहीं है। हां, अगर कोई कारखाना खोलना चाहे तो सरकार उसको वाजिब रियायतें देने का विचार कर सकती है।

श्री चांदमल मेहता—राजस्थान निर्माण के बाद कौन कौन से कारखाने ऐसे हैं जो बन्द हुए ?

श्री चंदनमल वैद—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्थान निर्माण के बाद किशनगढ़ का कागज का कारखाना बन्द हुआ?

श्री चन्दनमल वैद—मुझे मालूम नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ रियासत ने उसके बने हुए कागज को सरकारी काम में लाने के लिए आज्ञा जारी कर दी थी और राजस्थान बनने के बाद उस कागज का उपयोग नहीं हो सकने के कारण वह बन्द कर दिया गया?

श्री चांदनमल वैद—मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस कारखाने को फिर से चालू करने के बारे में विचार कर रही है या करेगी?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने बताया कि चार जगहों के कारखानों के लिए सरकार विचार कर रही है, औरों पर आवेदन आने पर विचार करेगी।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जहां कागज के कारखाने हैं, उनके अलावा भी जहां कागज बनाने का सामान काफी तादाद में उपलब्ध हो वहां पर क्या सरकार इस प्रकार का कारखाना खोलने का विचार रखती है?

श्री चन्दनमल वैद—जो अभी मौजूद हैं, उनको चलाना भी मुश्किल है, नये खोलने की बात आप करते हैं। यदि आप इस प्रकार का कारखाना चालू करेंगे तो सरकार आपको वे रियायतें देने पर विचार कर सकती है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—बिलाड़ा की तरफ एरी नाम का काफी घास मिलता है, जिसका कागज बहुत अच्छा बन सकता है, क्या सरकार ने इसकी कभी सर्वे कराई है?

श्री चंदनमल वैद—मौजूदा कारखाने जो चालू हैं उनको पहले ठीक तरह चलाना, पहले उस पर विचार करेगी और बाद में इस पर विचार करेगी।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या यह सही है कि मौजूदा कारखाने कागज का सामान काफी तादाद में उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं चलते? मगर वहां तो काफी तादाद में कागज बनाने का सामान मौजूद है।

श्री चन्दनमल वैद—आप कार्य शुरू करें तो सरकार आपको मदद देने के लिए तैयार है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि राजस्थान बनने से पहले कोटा में कागज बनाने का काम अच्छी तरह से चलता था और राजस्थान सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलने से वह बन्द पड़ा है ?

श्री चन्दनमल वैद—राजस्थान बनने से पहले युद्धजनित अवस्थाओं के कारण मिलों के कागज कम उपलब्ध थे और इसलिये हाथ के बने हुए कागज की मांग ज्यादा थी। अब चूंकि मिलों का कागज ज्यादा और सस्ता मिल सकता है इसलिये ये बन्द हो गए। चार कारखाने जिनके नाम मैंने बताये उन्हें सरकार से पूरी मदद दिलाने की कोशिश की जावेगी और विचार किया जावेगा।

रावल श्री शम्भूसिंह—गोगुंदा में कागज बनाने के लिये जो कारखाना है उसको सहायता देने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने बताया कि सरकार विचार कर रही है। जिनके मैंने नाम बताये उनके लिए सरकार विचार कर रही है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या उसमें कोटा का नाम भी शामिल है।

श्री चन्दनमल वैद—जी हां।

प्रश्न संख्या १७४८

श्री अध्यक्ष—श्री दिलीपसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७४६

राजस्थान निर्माण के पश्चात् राज्य मुद्रणालय को लाभ तथा राजकीय विभागों को स्टेशनरी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गवर्नमेंट प्रेस जयपुर से राजस्थान सरकार को राजस्थान निर्माण के बाद किस २ साल में कितना २ प्रोफिट रहा ?

(ख) उक्त प्रेस से स्टेशनरी व फॉर्म की सप्लाई पर कितने प्रतिशत मुनाफा चार्ज किया जाता है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) क्या यह सही है कि उक्त प्रेस को स्टेशनरी की रेट बाजार रेट से अधिक है ?

(घ) क्या यह सही है कि सरकारी दफ्तरों को वक्त पर उक्त प्रेस से स्टेशनरी नहीं मिलने मे बार बार राज्य कर्मचारी आते हैं। जिनसे बहुत बड़ी रकम प्रति वर्ष टी० ए० व डी० ए० में खर्च होती है ?

(ङ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—(क) चूंकि गवर्नमेन्ट प्रेस, जयपुर कमर्शियल विभाग नहीं है, अतः उसके हिसाबात भी हानि लाभ के आधार पर तैयार नहीं किये जाते, इसलिये हानि लाभ के सही अन्दाजे नहीं लगाये गये फिर भी विधान सभा को जानकारी के लिये गत वर्ष के आंकड़े जो प्राप्त हैं वे ये हैं:—

वर्ष	आय	व्यय
१९४९	३,५०,८३६	२,६५,०५३
१९५०-५१	३,२७,४४३	२,५७,९१०
१९५१-५२	२,२०,५४४	२,६३,३६६
१९५२-५३	५,००,११६	३,७०,८०४
१९५३-५४	५,००,११०	६,११,५४२

पिछले दो सालों में कागज जो प्रेस में काम आया उसकी कीमत का जमा खर्च एक साथ एक साल में कराया गया।

(ख) स्टेशनरी पर मुनाफा ८ प्रतिशत लिया जाता है। फार्म पर कोई मुनाफा नहीं लिया जाता। गवर्नमेंट से अधिकृत छपाई दरों से ही कीमतें ली जाती हैं।

(ग) जी नहीं। गवर्नमेंट स्टेशनरी का सामान थोक भावों पर भारत के प्रसिद्ध व्यापारियों से टेन्डर लेकर खरीदा जाता है।

(घ) जी नहीं। सिर्फ उस जगह के कर्मचारी जहां रेलवे कीसुविधा नहीं है, स्टेशनरी लेने आते हैं या वो विभाग जो समय पर अपना इन्डेन्ट नहीं भेज पाते स्टेशनरो लेने आते हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—यदि गवर्नमेन्ट प्रेस कि रेट के मुकाबले में बाजार रेट सस्ते हों, तो दफ्तरों को सामान बाजार से क्यों नहीं खरीदने की आज्ञा दी जाती है ?

श्री चन्दनमल वैद—जी नहीं। बाजार में सस्ती रेट से सामान नहीं मिलता।

श्री चांदमल मेहता—जब बाजार की रेट कम हो तब भी ऑफिसों में बाजार से सामान नहीं खरीदने देने का क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद—कभी बाजार में उतार चढ़ाव होने के कारण हो सकता है कि कोई चीज बाजार में कुछ समय के लिये सस्ती हो गई हो और हमने जो सामान खरीदा है उसके बाद बाजार का भाव गिर गया हो। इसलिये यह जरूरी नहीं है कि हमारे भाव बाजार से कम हों। हो सकता है आज बाजार का भाव कम है, कल तेज हो सकता है। इसलिये बाजार से लेने की आज्ञा नहीं दी जाती।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस बात को जांच कराने की कोशिश करेगी कि गवर्नमेंन्ट रेट और बाजार के रेट्स में कितना फर्क है ?

श्री चन्दनमल वैद—सरकार माल खरीदते समय टेन्डर मांगती है और सस्ते से सस्ते टेन्डर का माल खरीदा जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि टेन्डर में माल दिखाया जाता है, उससे इन्फीरियर क्वालिटी का माल आता है जो दिखाये गये माल के मुकाबले में सस्ता मिलता है ?

श्री चन्दनमल वैद—परचेज़ कमेटी बनी हुई है इसलिये ऐसी बात की कोई संभावना नहीं हो सकती है कि टेन्डर ऊंची क्वालीटी के हो और माल खराब सप्लाई कर दिया गया हो। अगर कोई उदाहरण दिया जावे तो उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार गवर्नमेंट प्रेस का प्रोफिट एन्ड लोस एकाउन्ट आवश्यक नहीं मानती है ?

श्री चन्दनमल वैद—यह कोई प्रोफिट के लिये विभाग नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने इस बात की जांच करने की कोशिश की है कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को समय पर स्टेशनरी नहीं मिलने से टी. ए. और डी. ए. का कितना फिजूल खर्चा होता है ?

श्री चंदनमल वैद—प्रायः उन लोगों को स्टेशनरी मिलती है और ऐसा हो सकता है कि हजार कर्मचारियों में से एक को उस स्टेशनरी में से कोई चीज नहीं मिली हो।

श्री हरिदेव जोशी—ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि स्टेशनरी नहीं मिलने के कारण कई दिनों तक सरकारी कर्मचारियों को यहां पर बैठे रहना पड़ा है क्या यह सरकार के ध्यान में है?

श्री चंदनमल वैद—मेरे ध्यान में कोई उदाहरण ऐसा नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी—क्या यह सही है कि १५–२० दिन पहले इन्डेन्ट भेज देने के बावजूद भी जो लोग बाहर से स्टेशनरी लेने के लिये आते हैं उनको स्टेशनरी उपलब्ध नहीं होती ?

श्री चंदनमल वैद—जो उपलब्ध होती है, दे दी जाती है।

श्री हरिदेव जोशी—क्या इस प्रकार टी.ए. और डी.ए. में हजारों रुपये खर्च होते हैं और वह इसीलिये कि स्टेशनरी समय पर उपलब्ध नहीं होती ?

श्री चंदनमल—अमूमन ऐसा होता है कि उन जगहों के लोग जहां रेलवे लाइन नहीं है और स्टेशनरी भेजने में ज्यादा खर्चा होता है, आते हैं और ले जाते हैं। वे लोग जो यहां पर इस कार्य के लिये आते हैं उसके साथ साथ उनके लिये दूसरा सरकारी काम भी होता है जिसके लिये उनको आना अनिवार्य होता है। उसके साथ साथ वे स्टेशनरी भी ले जाते हैं।

श्री हरिदेव जोशी—एक पार्सल को पोस्ट से भेजने और एक आदमी को आकर ले जाने में कितना टी. ए. और डी. ए. में खर्चा होता है ?

श्री चंदनमल वैद—यह सब, जगह की दूरी पर निर्भर है।

श्री हरिदेव जोशी—रेलवे स्टेशन से गांव में जाने में काफी खर्च होता है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि पोस्ट से भेजने में काफी फर्क नहीं होगा।

श्री चन्दनमल वैद—अर्ज करना है कि पोस्ट ऑफिस से भेजने में, चाहे वह कितने ही मील दूरी पर रहने वाला हो, अगर ले जाया जावे तो उसमें बचत हो सकती है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या सरकार टेन्डर लेने से पहले वस्तुओं के सेम्पल लेती है ?

श्री चन्दनमल वैद—जी हां, लेती है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या जब माल सप्लाई होता है उस समय उस माल की सेम्पल से जांच करती है ?

श्री चन्दनमल वैद—इसके लिये मैंने पहले भी कहा है कि एक पर्चेज़ कमेटी मुकर्रर है, वह सब देख-भाल करती है।

Page No.14

श्री सन्तोषसिंह—क्या यह सही है और सरकार को मालूम है कि पिछले साल जो चाकू सेम्पल में दिया गया था वह बहुत अच्छा था और बाद में जो सप्लाई किया गया वह दो दो पैसे के भेज दिये गये ?

श्री चन्दनमल वैद—हमें मालूम नहीं।

श्री सन्तोषसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि ब्रास निपल्स के सेम्पल दिये गये और लोहे (आइरन) के सप्लाई कर दिये गये ?

श्री चन्दनमल वैद—यह बात पहली बार हमारे ध्यान में आई है, यदि ऐसा हुआ होगा, तो इसकी जांच की जावेगी।

श्री सन्तोषसिंह—मैं बताना चाहता हूं कि सेम्पल के मुताबिक कोई चीज आई नहीं और यदि आप चाहें तो इसके लिये जांच कर सकते हैं।

श्री चन्दनमल वैद—सेम्पल के मुताबिक अगर माल नहीं आए तो सारा काम ही बन्द हो जावे।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि स्टेश्नरी खराब मिलने से राज्य के कर्मचारी भी नाखुश हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—ऐसी बात नहीं है कि स्टेश्नरी खराब मिलने से खुश या नाखुश हों।

श्री सोहनलाल भटनागर—गजट की बिक्री से कितना फायदा होता है ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—यह अलग से प्रश्न है।

प्रश्न संख्या १७५०

जालोर जिले के वन तथा उनकी उन्नति

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जालोर जिले में कुल कितने फोरेस्ट हैं ?

[श्री मोहम्मद अब्दुल हादी]

(ख) तहसील सांचोर में कुल कितने फोरेस्ट हैं और कहां कहां हैं ? भवातड़ा का जो फोरेस्ट है उसकी सालाना इन्कम क्या है ?

(ग) बम्बई प्रान्त राज्य की जो लाखों की तादाद में हर साल मवेशी, सांचोर तहसील के नअड़ एरिया में चरने को आती हैं उससे सरकार को कितनी इनकम होती है और इस साल अभी तक कितने मवेशी चरने के लिए आ चुके हैं ?

(घ) जालोर जिले में फोरेस्ट की तरक्की के लिये क्या कोई योजना बनी है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(वन मन्त्री की ओर से) (क) रेन्ज जालोर के जंगलों का रकबा ६५ वर्ग मील है ।

(ख) तहसील सांचोर में केवल दो बीड ग्रास है :

(१) भवातड़ा रकबा ६,००० बीघा ।

(२) दांतवाड़ा रकबा २००० बीघा ।

(ग) सांचोर के नअड एरिया में बम्बई प्रान्त की आमद मवेशी की चराई उस क्षेत्र के जागिरदारों द्वारा वसूल की जाती है । अतः कलेक्टर साहब जालौर आमदनी के आंक बतलाने में असमर्थता प्रकट करते हैं । जो मवेशी आती हैं वह आपस में खरीद-फरोख्त होती हैं । ऐसी खरीद-फरोख्त शुदा मवेशी का महसूल सायर महकमा, जकात की आमदनी में दाखिल होता है ।

अब तक कितनी मवेशी आ चुकी हैं इसके आंक भी कलेक्टर साहब जालोर के पास उपलब्ध नहीं हैं । उन्होंने बतलाया है कि वे आई हुई मवेशी की गिनती कराकर अब बतलावेंगे कि क्या तादाद है । उसके आने पर जवाब पेश किया जा सकेगा ।

(ग) जालोर जिले में फोरेस्ट की तरक्की के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है । पंच-वर्षीय योजना सन् १९५४-५५ का डेवलपमेंट ऑफ फोरेस्ट का बजट अब स्वीकृत होकर डिविजनों को गत माह में वितरण किया गया है, अतः आगामी वर्ष बनना संभव है ।

श्री जवानसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कस्टम विभाग की वसूली के अलावा फोरेस्ट डिपार्टमेंट भी चराई कोई वसूल करता है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—करता है ।

श्री जवानसिंह—जो आंकड़े मांगे गये हैं, वे कितने साल के हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो प्रश्न पूछा गया है उसका सम्बन्ध जागीरी इलाके से होने से जागीरदार द्वारा चराई वसूल करने से नहीं बता सकता।

श्री जवानसिंह—जागीरी इलाके के अलावा खालसा एरिया में सरकार द्वारा चराई कितनी वसूल होती है।

श्री भोगीलाल पंड्या—दूसरे अंक उपलब्ध नहीं हैं। जागीरदार द्वारा वसूली की जाती है वे ही अंक मांगे गये थे।

श्री जवानसिंह—क्या इस मुताबिक राजस्थान सरकार और बंबई सरकार के कोई समझौता हुआ है ? कितने पशु बंबई से आये और कितने यहां से बंबई प्रांत भेजे गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, आते भी हैं और जाते भी हैं। चराई का सालाना टेक्स जंगलात वाले वसूल करते हैं।

श्री जवानसिंह—पशु का आना-जाना वन विभाग नियुक्त करता है या कस्टम विभाग ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चराई का जहां तक प्रश्न है फोरेस्ट डिपार्टमेंट करता है और बाकी के लिए आने-जाने की संख्या वैगरह कस्टम विभाग करता है ?

श्री जवानसिंह—अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है ? बम्बई प्रान्त से आने वाले पशुओं की चराई की रकम कौन डिपार्टमेंट करता है, या आया कस्टम विभाग या फॉरेस्ट विभाग ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कस्टम विभाग के आंकड़े रखने का सवाल नहीं आता है। वन विभाग जितने पशुओं को आने की इजाजत देता है उतने ही पशु राजस्थान में आते। यदि किसी जगह के नागरिक नहीं पसन्द करते हैं, तो वन विभाग नहीं आने देता है।

श्री जवानसिंह—राजस्थान में चराई की दिक्कतों को देखते हुए क्या सरकार यह कोशिश करेगी कि बाहर से पशु राजस्थान में न आने दिये जावें ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—पशुओं को वहीं आने दिया जाता है, जहां कि घास ज्यादा होता है और फिजूल पड़ा रहता है। सब जगह इजाजत नहीं देती है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या इस साल जालौर में घास ज्यादा था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिस हिस्से के लिए पूछा गया है वहां घास है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि घास की स्थिति बहुत सोचनीय है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—मैंने भी इनकार नहीं किया है कि घास की स्केयरसिटी नहीं है मैंने ऐसा नहीं कहा था। जालोर में घास है या नहीं यह प्रश्न था। मैंने बताया कि सांचोर में घास है। सारे राजस्थान में घास है, यह नहीं बताया था।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सांचोर में इतना घास है कि सारे मारवाड के मवेशी वहां चर लेंगे ?

एक माननीय सदस्य—क्या सांचोर में बम्बई प्रान्त से मवेशी आये हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, कुछ आये हैं और अपने इधर से भी उधर कुछ गये हैं ?

श्री जवानसिंह—राजस्थान से मवेशी उधर कब गई है, क्या राजस्थान सरकार तारीख बतायेगी ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—आप इसे अलग से पूछिये। मैं आपको इस विषय में तारीख, घंटा और सैकिंड भी बता दूंगा।

श्री जवानसिंह—आपने फिर किस आधार पर कहा है कि राजस्थान की ओर से भी बम्बई प्रान्त में मवेशी गई हैं ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—इस समय मेरे पास तारीख नहीं है। वैसे मोटे रूप में फोरेस्ट डिपार्टमेंट को मालूम रहता है, मवेशी का आना और जाना। पूरी संख्या फोरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं रखता है।

श्री जवानसिंह—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मवेशी कब आयी ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—मैंने आपको बताया कि मेरे पास तारीख नहीं है। आप पूछियेगा तो फिर बता दूंगा। इस सम्बन्ध में कस्टम विभाग में बराबर नोट होता है, क्योंकि जो मवेशी उधर भेजी जाती है उनको वापिस लेना पड़ता है अगर आंकड़े न रखें तो मुश्किल होता है उनको वापिस लेना। इसलिए इसका बराबर तारीख और संख्या के हिसाब से नोट होता है। यह अलग से प्रश्न है।

श्री कुंवर जसवन्तसिंह—बम्बई के पशु और राजस्थान के पशु, एक दूसरे प्रान्तों में जाते-आते हैं तो क्या ऐसा रेसीप्रोकल अरेन्जमेंट है या कैसे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, ऐसा है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या इस तरह का अरेन्जमेंट यू. पी सरकार से भी है?

(घण्टी)

श्री अध्यक्ष—अलग से प्रश्न है। नेक्सट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १७५१

किशनगढ़ में आटे की चक्कियें तथा उनकी उन्नति

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क किशनगढ़ में आटे की चक्कियों की संख्या कितनी है?

(ख) उक्त चक्कियों से किस किस विभाग द्वारा क्या टैक्स लिए जाते हैं?

(ग) क्या म्युनिसिपेलिटी भी उनसे कोई टेक्स लेती है?

(घ) सब विभागों का मिलाकर प्रति चक्की टेक्स का बोझा कितना है?

(ङ) इस प्रकार के टेक्स राजस्थान में कहां कहां वसूल किये जाते हैं?

(च) क्या यह सही है कि टेक्स चक्कियों के बन्द रहने पर भी वसूल किये जाते हैं

(छ) यदि हां तो क्यों?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) किशनगढ़ में चक्कियों की संख्या १९ है।

(ख) लाइसेन्स फी म्युनिसिपल बोर्ड किशनगढ़ को दी जाती है :

१. पांच हॉर्स पॉवर तक २५ रु० प्रत्येक चक्की सालाना।

२. ६ से १५ हॉर्स पॉवर ५ रु० फी हॉर्स पा० ,, ।

३. १६ से ५० हॉर्स पावर ३ रु० ,, ,, ।

४. ५० हॉर्स पॉवर २ रु० ,, ,, ।

[श्री चन्दनमल वैद]

(ग) म्युनिसिपल बोर्ड ही इन टेक्सों को ले रहा है। इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में अभी कोई टेक्स जमा होना नहीं पाया जाता।

(घ) इसका उत्तर 'ख' में दिया गया है।

(ङ) इस विषय का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। प्रायः जहां म्युनिसिपेलिटी होती है वहां म्युनिसिपेलिटी ही चक्कियों की लाइसेन्स लेती है।

(च) हां, प्रायः ऐसा होता है।

(छ) नियम होने से।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तरह के भी नियम हैं कि चक्कियों के बन्द रहने पर भी टेक्स वसूल होते हैं। तो क्या टेक्स वसूल करने के बारे में फिर से विचार किया जायगा ?

श्री चंदनमल वैद—नगरपालिका का नियम है, सरकार की ओर से कोई नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—सरकार की ओर से भी लाइसेन्स फीस है और नगरपालिका की ओर से भी, डबल टेक्स लिए जाते हैं और चक्कियों के बंद रहने पर भी लिये जाते हैं ?

श्री चंदनमल वैद—म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से वसूल किये जाते है, यह मैं आपको बता चुका हूँ।

श्री चांदमल मेहता—क्या किशनगढ़ की जनता ने मांग की है कि सरकार की ओर से और म्युनिसिपेलिटी की ओर से टेक्स लिए जाते हैं, तो क्या यह दोहरा टेक्स बन्द किया जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने आपको जानकारी दी है कि म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से लिया जाता है सरकार की ओर से नहीं।

श्री चान्दमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय जानकारी प्राप्त करने की कोशिस करेंगे कि दोनों टेक्स लिए जाते हैं या नहीं, और अगर लिये जाते हैं तो बन्द करने की कोशिश करेंगे ?

श्री खेतसिंह—किशनगढ़ की कौनसी ऐसी चक्की है कि जिसका आटा खाने से माननीय सदस्य की ओर से ऐसे प्रश्न पूछने की कोशिश की गई।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री अंगदराम शास्त्री ।

प्रश्न संख्या १७५२

आयुर्वेदिक रिसर्च विषयक योजना तथा कुष्ट रोगियों का उपचार

श्री अंगदराम शास्त्री—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद रिसर्च के बारे में कोई योजना बनाई है ?

(ख) क्या जड़ी-बूटियों का संग्रह कराने व बाजारों में गवर्नमेन्ट लाइसेंसदार जड़ी-बूटी स्टोकिस्ट रखने की आवश्यकता है ?

(ग) क्या संक्रामक रोगों की रोकथाम के वास्ते कोई समुचित योजना बनाई जा रही है ?

(घ) बाजार में घूमने वाले कुष्ट रोगीयों को सेपरेट रखने और कुष्ट अस्पताल बनाने की क्या सरकार कोई योजना रखती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री)—(क,ख) प्रश्न विचाराधीन है ।

("ग और घ का क्या हुआ ?" ऐसी सदन में आवाज)

(हंसी)

विचाराधीन है ।

(हंसी)

श्री अंगदराम शास्त्री—कब तक के लिए विचाराधीन है ?

श्री कुम्भाराम—यथा-संभव ।

श्री अंगद राम—आयुर्वेदिक के लिए 'यथाशीघ्र' और 'विचाराधीन' ये प्रश्न कैसे रहते हैं, जब कि एलोपेथी को सारी सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य--जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनके लिए निवेदन किया है । बाकी वैसे सब काम चलता ही है ।

Page No.21

श्री अंगद राम शास्त्री—जड़ी-बूटियां जो नष्ट होती है, उनके संग्रह के लिए क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री कुंभाराम आर्य—हां, इस पर विचार कर रही है ।

श्री जवान सिंह—क्या कुष्ट रोग के अलावा दूसरी बीमारियों के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं ?

श्री कुंभाराम आर्य—किसी बीमारी को नहीं बचने देंगे ।

श्री जवान सिंह—यह योजना बनाने के लिए क्या कोई स्पेशल कमेटी नियुक्त हुई है ?

श्री कुंभाराम आर्य—मै समझ नहीं पाया, आपने क्या कहा ?

श्री जवान सिंह—क्या कुष्ट रोग और दूसरी बीमारियों के निवारण के लिए कोई समिति बनाई जा रही है ?

श्री कुंभाराम आर्य—समिति की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े डिपार्टमेन्ट है और आदमी भी तजुर्बेकार हैं ।

श्री जवान सिंह—उन बीमारियों के निवारण के लिए किन व्यक्तियों को यह काम सौंपा गया है ?

श्री कुंभाराम आर्य—इसके लिए आयुर्वेद विभाग भी है और दूसरे विभाग भी हैं ।

श्री जवान सिंह—आयुर्वेद विभाग के सिवाय दूसरे कौन से विभाग इस मामले की जांच कर रहे हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मेडिकल के अलावा यूनानी-तिब्बिया भी चल रही है ।

श्री अंगद राम—उसने आज तक क्या प्रगति की है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—बीच की बात के लिये आपको उत्सुक नहीं रहना चाहिये, आपके सामने अन्तिम बात ही आ जायगी ।

श्री लाल बहादुर—क्या सरकार आयुर्वेदिक लेड़ीज हॉस्पिटल भी खोलने का विचार कर रही है ?

श्री कुंभाराम आर्य—हां, आवश्यकता हुई तो ।

श्रीमती यशोदा देवी—आवश्यकता तो बहुत महसूस होरही है, आप कब खोलने का विचार कर रहे हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इस बारे में विचार हो रहा है।

श्रीमती यशोदा देवी—कब तक विचार पूरा होगा।

श्री कुम्भाराम आर्य—शीघ्र।

श्री अध्यक्ष—श्री शिवदानसिंह (अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री शिवदान सिंहजी अधिकृत कर गये हैं यदि, मुझे आज्ञा हो तो मैं उनका प्रश्न पूंछू।

श्री चन्दनमल वैद—इनके ही प्रश्न क्या कम हैं जो दूसरों के प्रश्न पूछने की इजाजत दी जा रही है ?

प्रश्न संख्या १७५३.

सन् ५२ से ५४ तक प्राइवेट लाइसेंस होल्डरों द्वारा विदेशी अस्त्र शस्त्र खरीदे जाना

(श्री शिवदान सिंह का प्रश्न भी चांदमल मेहता द्वारा पूछा गया)

क्या (गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सन् ५२-५३और ५३-५४ में प्राइवेट लाइसेन्स होल्डर व्यक्तियों द्वारा कितनी मात्रा में विदेशी एम्युनिशन खरीदा गया ?

श्री चन्दनमल वैद—किसी भी व्यक्ति के एम्युनिशन लाने के लिये इजाजत नहीं दी गई ?

सन् ५२ में १३०४५) रूपये, सन् ५३ में ४,६४२) के और सन् ५४ में ५,२३०) रूपये के विदेशी कारतूस बिक्री किये गये।

प्रश्न संख्या १८२६

गंगापुर के शरणार्थियों के निवास स्थान के लिये शासकीय सहायता

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या पुनः स्थापन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री रिद्धिचन्द पालीवाल]

(क) गंगापुर में कितने घर शरणार्थियों के आबाद कराये गये हैं ?

(ख) प्रत्येक घर पर फी व्यक्ति क्या सहायता दी गई है ?

(ग) मकानों की क्या व्यवस्था की गई है ?

(घ) क्या सरकार उनके लिये निवास योग्य मकान बनाने को तैयार है ?

(ङ.) अगर हां, तो कबतक व्यवस्था कर दी जावेगी ?

(च) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ—(क(गंगापुर में २० शरणार्थी घर आबाद किये गये ।

(ख)३५० रूपये दिये गये । ३००)रु. बैल और ५० रूपये बीज आदि के लियेदिये गये । इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को फिक्स चार माह तक ११) प्रति प्रौढ और ६) प्रति बच्चे के हिसाब से और दिये गये ।

(ग) इनको मुसलमानो के खाली मकानों में बसाया गया है ।

(घ) नहीं ।

(ङ•) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) सरकार ने देहातों में बसने वाले शरणार्थियों के लिये कोई मकान नहीं बनाया है ।

प्रश्न संख्या १८२६

सवाई माधोपुर जिले में निर्धारित दूरी से कम में पेट्रोलियम पम्प लगाने की अनुमति

श्री छंगा—क्या मुख्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) रेल्वे लाइन से खतरनाक पेट्रोल कितनी दूरी पर स्टोर किया जा सकता है ?

[श्री ढ्ढा]

(ख) क्या यह सच है कि रेल्वे लाइन से १०० फीट से भी कम दूरी पर ही पेट्रोल स्टोर करने के लाइसेन्स सवाई माधोपुर जिले में दिये जा रहे हैं ?

(ग) हिन्डोन स्टेशन पर पेट्रोल के लाइसेन्स लाइन से कितनी दूरी पर के दिये गये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद्—(क) ३०० फीट।

(ख) नहीं।

(ग) कानून के मुताबिक।

श्री जवान सिंह—साधारण पेट्रोल और खतरनाक पेट्रोल कौन कौन से हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—सारे ही पेट्रोल खतरनाक होते हैं।

प्रश्न संख्या १८३०

बड़ी सादड़ी (तहसील सांचोर) से मुलवा ग्राम व स्टेशन बानसी बोहेड़ा से बानसी तक पक्की सड़क बनाना

श्री जगतसिह झाला—क्या वन विभाग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है बड़ी सादड़ी, तहसील जिला चित्तौडगढ़ में एक बन सरकारी आय का प्रमुख श्रोत है ?

(ख) क्या स्टेशन बड़ी सादड़ी तथा स्टेशन बानसी बोहेडा से मुख्य वनों में जाने को मार्ग का अभाव है ?

(ग) क्या ऐसी सड़कें नहीं होने के कारण वनों से कबाडा, बांस तथा कोयला लाने में अत्याधिक कठिनाई होती है और सरकार को भी वनों का ठेका देने में रियायत बरतनी पड़ती है ?

(घ) क्या सरकार भविष्य में शीघ्र बड़ी सादड़ी स्टेशन से मुलवा ग्राम व स्टेशन बानसी वेहुड़ा तक पक्की सड़क बनाने का विचार करेगी ?

(ङ) यदि हां, तो कबतक ?

Page No.25

श्री भोगीलाल पंड्या —(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। किन्तु पक्के मार्ग बनजाने पर ठेकों की रकमों में वृद्धि हो सकती है।

(घ) इस प्रश्न का सम्बन्ध निर्माण विभाग से है। अभी वन विभाग के पास ऐसी कोई योजना नहीं है!

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १८३२

गंगापुर थाने के अन्तर्गत १ जनवरी, १९५३ से ३१ अगस्त, १९५४ तक चोरियें

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

गंगापुर थाने के अन्तर्गत १ जनवरी, सन् १९५३ से ३१, सन् १९५४ तक कितनी चोरियों की रिपोर्ट दर्ज हुई हैं, वे कितने रुपयों की हैं और उनमें से कितनी चोरियों का माल बरामद हुआ है?

श्री चन्दनमल वैद—१ जनवरी, सन् १९५३ से ३१ अगस्त, सन् १९५४ तक ४४ चोरी की वारदातें हुई हैं।

६,६३६) रुपये का माल चोरी हुआ। २,४९१) रुपये का बरामद हुआ है।

श्री अध्यक्ष—Now the question hour is over.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है—

श्री शिवदानसिंह वि०सं १४० दिनांक १७ सितम्बर, १९५४।

श्री भैरोंसिंह वि०सं० १२, १ सितम्बर, से १७ सितम्बर, ५४ तक।

[श्री अध्यक्ष]

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १६५३
(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—खण्ड ३६

श्री मोहनलाल सुखाड़िया [राजस्व मन्त्री]—There is an amendment which has already been circulated by Shri kapildeo Agrwal.

श्री अध्यक्ष—It is not here.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, मैं इस क्लॉज़ ३६ पर कुछ बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—Now the Hon'ble Revenue Minister will reply. जनरल डिबेट तो इस पर हो चुकी है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ३६ पर एक अमेंडमेंट श्री कपिलदेवजी द्वारा मूव होने को था जो माननीय सदस्यों को सरकुलेट कर दिया गया है । यह आपस के डिस्कशन के बाद तय हुआ था, किन्तु संशोधन मूव करने वाले अनुपस्थित हैं । अतः मेरी प्रार्थना है कि यह मेरी तरफ से मूव समझा जाय ।

श्री अध्यक्ष—I can allow.

श्री वेदपाल त्यागी—Those who want to speak must be allowed.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—It would be better if it is moved by somebody else so that Hon'ble Members may have opportunity to speak.

श्री अध्यक्ष—अगर यह एग्रीड है then it will be put to vote.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Agreed by some persons of course, but not by all.

Page No.27

श्री अध्यक्ष—इन क्लॉज़ेज़ पर काफी बहस हो चुकी है। बहस होने के बाद में माननीय राजस्व मंत्री के जवाब के लिये रखा गया था। उसमें यह अन्डरटेन्डिंग थी कि उस वक्त तक कोई एग्रीड फॉर्मूला ले आयेंगे। इसलिये उस दिन बहस बन्द कर दी गई थी। अब फिर अमेन्डमेन्ट मूव करके फिर उस पर बहस करने लगेंगे तो फिर इस बहस का कोई अन्त नहीं होगा।

श्री वेदपाल त्यागी—इस वक्त अमेन्डमेन्ट आ रहा है......

This is entirely different from what was discussed yesterday on the floor of the House.

श्री अध्यक्ष—On clause 36, I may point out with reference to the proceedings of the House that as many as 19 members had spoken on that day and the debate continued for the whole day. Now if we start discussion again, it will be useelss. What was the use in spending the whole day on that day and restart discussion today ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—The point is different, if the original amendment stands then there is no need for further discussion. But if there comes a new amendment then......

श्री अध्यक्ष—No new amendment.

श्री वेदपाल त्यागी – The amendment which has now come.

श्री अध्यक्ष—I had called the Member and he is not present.

श्री वेदपाल त्यागी—You have allowed the Minister to move.

श्री अध्यक्ष—He has not moved.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—दिन भर उस दिन १९ मेम्बर बोले। अब उस पर फिर डिसकशन हो और फिर अमेन्डमेन्ट आवे। Then it is very difficult.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आज जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है वह सर्व सम्मत है। मेरे मूव करने के बाद इस पर बोलने की इजाजत आप किसी को [illegible] ऐसे शायद मैं सोचता हूँ

श्री अध्यक्ष—I will allow so far as it is reasonable, but I fail to understand that when the amendments are sponsored by the Treasruy Benches how it is that the chief members of the Treasury Benches and the whip, they all spoke against that. What is the sense in it ? Atleast those members should have supported the Treasury Benches; and as important members as the chief whip should have supported it. But if there is no agreement and most of the congress members oppose it, then there is no sense in it.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I may point out that it was not opposed by the treasury benches.

श्री अध्यक्ष—That was the case yesterday.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—The whip supported the amendment.

कु० श्री जसवन्तसिंह—The only difference was that he made a long speech to impress, as also many of the congress members made long speeches simply to show that in principle they don't agree but for special reasons they are supporting. They did make long speeches and satisfied themselves as well as the audience in the House.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, ऐसा था कि ३५ वें क्लॉज़ का जो अमेन्डमेन्ट था उसी पर ३६ वें क्लॉज़ पर भी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये थे और ट्रेजरी बेंचों ने भी बोलने को फन्डामेन्टली माना था। ३६ वें क्लॉज़ पर डिबेट के बाद अमेन्डमेन्ट लाना जरूरी समझा गया। वह सब-लेटिंग के सिलसिले में बड़ा महत्वपूर्ण है। कपिलदेवजी दो चार मिनट देर से आ रहे हैं। इजाजत हो तो मैं मूव कर दूं।

श्री अध्यक्ष—It is complete one hour.

मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी मंशा नहीं कि हाउस के डिस्कशन को करटेल करूं। पर हमें बेसिक प्रिन्सिपल को मानकर चलना होगा। मैं बतला दूं कि हमें कुछ ऐसे कन्वेन्शन्स कायम करने होंगे जैसे कि सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर हैं और वे सिलेक्ट कमेटी में डिस्कस कर चुके हैं वे वहां जितना चाहें डिस्कस कर सकते हैं। वे भी फिर उन्हीं बातों पर हाउस में डिस्कस करें तो फिर सिलेक्ट कमेटी को इसे रेफर करना ही बेकार हो जाता है। वे वहां पर भी बोलें और यहां पर भी बोलें तो यह समय व्यतीत करना बेकार होगा और उचित भी नहीं होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखकर जो डिस्कस करना चाहें तो उनको उचित साधन देने को तैयार हैं। पर हमें यह देखना है कि जो समय हमारे पास है और जिस तरीके के जो रूल्स हमारे हैं उन्हीं के अन्तर्गत रहकर हमें सब करना है फिर अगर आप मूव करना चाहें तो कर सकते हैं।

Page No.29

कु० श्री जसवन्तसिंह—Let it be moved by somebody else.

श्री अध्यक्ष—It is government sponsored. It comes to the same thing. We can take it as moved and the Hon'ble Minister can make a preliminary speech.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I will be speaking later on, lest I may not be allowed.

श्री अध्यक्ष—Treasury Benches have always the right to reply.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Then it should be considered as moved.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्षजी, क्लॉज़ ३६ में जो......

(इसी समय श्री कपिलदेव के सदन में प्रवेश पर 'हियर हियर' की आवाज एवं करतल ध्वनि तथा आर्डर सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष—I don't see any reason. When the Revenue Minister has moved it, it is no use supporting it by the same party. But if any Hon'ble Member opposes it then......

श्री वेदपाल त्यागी—I think the opinion of all members should come so that others can take advantage thereby.

श्री अध्यक्ष—They can take advantage, I agree but there is no use when as many as 19 members havs for one full day and a half had spoken. There is no use if we again continue discussing it.

श्री वेदपाल त्यागी —For your information I may tell you that the clause on which the discussions were held was entirely different from what has now come before the House.

श्री अध्यक्ष —May be. But the understanding was that the Hon'ble Revenuet Minister will take into confidence all the dissentient members of the House and put before the House an agreed solution. That was the understanding. As such the debate is closed and the Hon'ble Revenue Minister should put before the House an agreed solution

श्री वेदपाल त्यागी—The conference does not take away the righ. of speaking.

श्री अध्यक्ष—It dose not, but certain conventions we have to lay before the House and in this way when it was the wish of the House that we should defer it and come with an agreed solution it does. Of course I have no objection if the Hon'ble Members who wish to oppose it can do so.

श्री भीमसिंह—यह जो अमेंडमेंट रक्खा गया है वह विरोधी दल और कांग्रेस पाट दोनों की समिति से दोनों के द्वारा अच्छी तरह से विचार करने के बाद रक्खा गया है। मेरी यह समझ में नहीं आता कि अब विरोधी पक्ष यह किस तरह फरमाते हैं कि यह हमारे सामने आया नहीं। मैं यह भी कह दूं कि संयुक्त दल के नेता भी इसमें शामिल थे।

श्री वेदपालत्यागी– All the Members were not consulted.

श्री अध्यक्ष–But if any Member wants to oppose it, I will give full time.

श्री वेदपाल त्यागी—Different view points will come from those who want to support it, And, therfeore Members should not be disallowed to have discussions on this subject on the floor of the House.

श्री भीमसिंह—छावड़ा से आने वाले सदस्य फरमा रहे हैं वे भी इसमें निमंत्रित किये गये थे, पर वे मीटिंग में नहीं पधारे थे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—In my opinion, Sir, I think Members have the right to speak because any formal solution which has come may be agreeable to those who were present in the discussions, but if the Hon'ble Members like to express their views they should be allowed. We arehere and the legislature is ment for this If any body wants to speak he should be given a chance.

श्री अध्यक्ष—That is not the point.

कु० श्री जसवन्तसिंह—That is the point. The new clause is quite different from the original.

श्री अध्यक्ष—But if the House wants to proceed on that assumption, I will request the Hon'ble Members of the House that all the amendments had been moved and now there will no opportunity for any new amendment to come when the debate was closed. The position comes to this. If this clause is being moved then there will be no occasion for the new clause to come now.

Page No.31

कु० श्री जसवंतसिंह —For the remaining clauses if amendnents are taken now then the discussicn have to beallowed; that is the point.

श्री अध्यक्ष—If the House so likes, I have no objection. Then we wi be forced to have double sittings, and meet on holidays; and Sundays.

श्री वेदपाल त्यागी—That is a different matter.

श्री अध्यक्ष—That matter quite concerns this. If we take three to four days continuously and one member speeks two, three times over the same clause in different capacities, then the question of time does come in.

श्री वेदपाल त्यागी—Perhaps he Hon'be Chair could not understand our difficulties and the difficulty is...

श्री अध्यक्ष—I quite appreciate, but the Hon'ble Members do not undertand the difficulties of the Chair. That is the difficulty.

कु० श्री जसवन्तसिंह – That is reciprocal.

श्री अध्यक्ष—Not reciprocal. Whether under the rules it is permissible to open discussion which was closed and to have fresh amendments ? It was agreed on that day it can be persued from the proceedings of the house that an agreed proposals will come.

कु० श्री जसवन्तसिंह—How can it be ? An agreed proposal can come only when all the 160 members gather and agree. Only according to the opinion of the Revenue Minister it was said that he will ask the members and from his point of view he feels that more or less it will agreed. From sone memberswho were not present you cannot take away their right of speaking.

श्री अध्यक्ष—We can.

श्री किशनलाल शाह—with due respects to the Chair, Sir. अध्यक्ष महोदय, जब कुछ सदस्यों ने राय जाहिर कर दी कि डिस्कशन करके इस बात पर एग्रीड होकर अमेंडमेंट

Page No.32

[श्री किशनलाल शाह]

सदन के सामने लायें तो उसके बाद में क्वेश्चन क्या रह जाता है, और जो ऑपोज़ करने वाले हैं, उनके लिए किस साधन की पूर्ति के लिए यह है, मेरे यह समझ में नहीं आता है कि सदा से जो अपोज़ करने वाले हैं वे सपोर्टर्स का कॉज क्यों प्लीड कर रहे हैं ? वह सपोर्ट करने वाले जो हैं उनकी मन्शा है कि बोलें या नहीं बोलें। उन्होंने कहा कि हमने यह एग्रीड फॉर्मुला कर लिया। Now it is open for the opponents to oppose it and they have been permitted. इसलिए उनका कहना मेरी समझ में नहीं आया। चेयर का रूलिंग है कि हेल्दी कन्वेन्शन्स रखने चाहिए। तो हेल्दी कन्वेन्शन्स हमें बनाने चाहिएं।

श्री श्रीमानसिंह—May I make a humble submission to the Chair, Sir, Clause 36 as 'postponed for consideration' if the Chair will go into the proceedings, the Hon'ble Revenue Minister proposed to the chair that clause 36 be postponed for consideration. These were the words. It should therefore, be taken for consideration now. That will be evident from the proceedings. The clause was postponed and was not put to vote.

श्री अध्यक्ष—Perhaps the Hon'ble Member is speaking fro them memory while I am speaking from the records before me. Now only the Revenue Minister has to reply and it is only reserved for reply today. The Revenue Minister y

"माननीय चेयरमेन, मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ के बारे में फिर जवाब दूंगा, इसलिए क्लॉज़ ३६ और ३७ को पेंडिंग रखा जाय।"

It is reserved for reply today.

श्री वेदपाल त्यागी—The question now is entirely different. If a discussion takes place, we can support the amendment of Shri Nathu Ram Mirdha...

श्री अध्यक्ष—Now ew can take only this amendment. Perhaps the Hon'ble Members are not aware that this is not the proper time that we can take the other amendments.

श्री वेदपाल त्यागी—If the Chair does not allow, the amendments will not be moved. But if it is allowed for discussion, and the discussion must be allowed on the floor of the House, and the Members should speak on it.

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम गलत कानून बनाकर चले जायं और बहस नहीं करें, ताकि जो कानून बने उस पर बहस करते रहने से नई नई बातें निकलती हैं। इस बात का नोटिस नहीं होना चाहिए कि बार बार टाइम्स से नहीं आते हैं तो अमेंडमेंटस नहीं माने जायेगें। इसका मतलब यह है कि हम गलत काम करके चले जायं।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, मुझको ऐसा मालूम पड़ा है कि चेयर की यह आपत्ति है कि शायद इस चीज पर लम्बा डिस्कशन हो जाय।

श्री अध्यक्ष—Not that.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—यदि ऐसा है तो हाउस इस बात की खबरदारी रखेगा कि इस पर लम्बे डिस्कशन नहीं हों और जल्दी से जल्दी इस पर डिस्कशन करके इसको पास कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं इसको स्पष्ट कर दूं, कि जिसकी जो समझ में आता है, वैसा समझे, लेकिन मैं अपनी तरफ से स्पष्ट कर दूं, मेरी मन्शा यह कतई नहीं है कि सदन के माननीय सदस्य उसमें भाग नहीं ले सकें, लेकिन कुछ परम्परा अवश्य कायम करनी है और उन परम्पराओं में जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया था कि जो सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने अपनी रायें व्यक्त कर दी हैं तो उन सदस्यों को उसमें राय व्यक्त करने के लिये झिझकना चाहिऐ, नहीं करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि राज्यसभा के अन्दर इस बात पर बोलने नहीं दिया गया है डा० आम्बेडकर को चूंकि वे सिलेक्ट कमेटी में थे। वे हाउस में बोलना चाहते थे किन्तु उनको रोक लिया गया। इसी तरीके से जब कि एक दिन की प्रोसीडिंग में १९-२० आदमियों ने मिलकर बहस की तो वह सारी प्रोसीडिंग वाइप आउट कर दी जाय और वही १९-२० आदमी फिर बोलें वह नहीं होना चाहिये। कुछ कन्वेन्शन्स जरूर कामय करने चाहिए जिससे कि पाबन्दी रहे रूल्स ऑफ बिजनेस की पाबन्दी रहे। अगर उसको भी ओवर रूल करके, बहुत विचार करके ऐसी चीज लाना चाहें और उस चीज को हाउस में लेकर फिर यह पता चलता है कि इसको विचार करके नहीं लाये हैं और १९, २० आदमी बोलें तो यह सदन के माननीय सदस्यों के लिये विचारणीय चीज है और उनको विचार करना चाहिए कि यह कन्वेनशन ठीक रहेगा क्या? मैं बीच में नहीं आना चाहता माननीय सदस्यों के विचार करने में और अभी व्यक्त करना चाहते हैं वे अपने विचार तो जरूर व्यक्त करें, लेकिन मैं चाहूंगा कि १९ आदमी जो पहले बोले वे फिर डिस्कशन पार्टेक नहीं करें। प्रश्न यह है कि दूसरे एमेंडमेंट को आप देखेगें तो उस एमेंडमेंट में मेटीरियली कोई डिफरेन्स नहीं था। १९ आदमी कल क्लॉज़ ३६ पर बोले हैं और उस एमेंडमेंट में और जो अमेंडमेंट अभी आया है उसमें मेटीरियली कोई डिफरेन्स नहीं था प्रिन्सिपल की बात और थी और सिद्धान्त की बात दूसरी है। वह समझ में आ सकती है।

श्री वेदपाल त्यागी—यह सिद्धान्त के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष—I don't agree. इसमें ज्यादा नहीं लेकर राजस्वमंत्री जी जो कुछ स्पष्टी-करण करना चाहें कर दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष जी, इस क्लॉज़ ३६ के संबंध में पहले काफी वाद-विवाद हुआ था और उस वाद-विवाद में इस बात पर कि जो एक ऐमेंडमेंट डीड़वाने से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष रखा था कि अगर सब-लेट किया जाय तो एक साथ ५ साल के लिए किया जाय और फिर करता है तो वापिस ५ साल के लिए किया जाय उससे कम नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का एक एमेंडमेंट मूव किया गया था। इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने विरोध प्रकट किया था और उसमें खास तौर से यह कहा गया था कि इसका मतलब निगेशन ऑफ सब-लेटिंग है कि हम ५ साल कम्पलसरिली लगायेंगे तो कोई पसन्द नहीं करेगा। मजबूरी की वजह से ही साल या दो साल के लिए सबलेट करना चाहता है तो वह केवल ५ साल के करे, वर्ना नहीं कर सकता है। यह सख्त पाबन्दी हो जाती है। इस बात से कई आदमियों को दिक्कत का मौका आयेगा और सबलेट करने का अवसर उनके सामने नहीं रहता है। ये दलीलें खास तौर से सामने आई थीं। सबलेट करने दिया जाय या नहीं करने दिया जाय, इस संबंध में, माननीय अध्यक्ष, कल काफी वादविवाद हुआ। उसके उत्तर में जो कुछ कहना था मैं काफी कह चुका हूं। उन चीजों को वापिस दोहराना इस अवसर पर नहीं चाहता। सबलेटिंग के संबंध में क्लॉज़ पास कर चुके हैं और मैं अपने विचार दे चुका हूं। सबलेटिंग के लिए इजाजत देते हैं तो फिर जो क्लॉज़ अभी सदन के समक्ष रखते हैं वह दरअसल में इस बिल के अन्दर सिलेक्ट कमेटी की ओर से रिपोर्ट की गई थी उसमें और इसमें कोई ज्यादा भेद नहीं जैसा कि इस संशोधन के देखने से ज्ञात होगा कि इसमें सब क्लॉज़ (४) है जो इस प्रकार है

"No sub—tenant or tenant of Khud-kasht shall sub-let the whole or any part of his holding except in circum stances mentioned in 73section" तो वह जो पहले ३५ वें क्लॉज़ में था उसके बजाय वह ३६ वें क्लॉज़ में ले लिया है।

दूसरा, इसमें यह कह सकते हैं कि एक बार सबलेट करने के बाद एक्सटेंड करते हुए वह बारबार नहीं रोका जा सकता है। उससे सबलेट करने के बाद खुद पर्सनल कल्टीवेशन में लेना होगा। यह नहीं हो सकता है कि इयर टू इयर सबलेट करता चला जाय। अगर सब-लेट करने का रखते हैं तो जो सब-टिनेन्ट है उसको ज्यादा मुश्किल हो जाती है और उसके साथ में यह पोसीबिलीटीज हैं कि जो रेन्ट का मारजिन फिक्स करना चाहते हैं वह इम्प्लीमेंट नहीं होकर नये नये टर्म्स हर साल उससे लिये जायेंगे तो स्टेबिलीटी नहीं रहेगी। एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो सकता है, इसलिये इसमें रखा है कि अगर दी जाय तो एक फिक्स्डटर्म के लिये दी जाय और उसके बाद अपने पर्सनल कल्टी-वेशन के लिए लेना होगा और लेकर पर्सनल कल्टीवेशन करना होगा। यह पहले का जो क्लॉज़ है उसमें यह दिया हुआ था "No Khatedar tenant or his mortgagee shall sub-let the whole

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

or any part of his holding for a term exceeding five years." उसमें यह निश्चित तौर से बात नहीं है कि इयर टू इयर करे या नहीं करे। इसमें उस भावना का खास तौर से समावेश किया गया है। बाकी जो मूल क्लॉज़ है उसमें ज्यादा अन्तर जैसी बात नहीं है। जो अमेन्डमेन्ट डीडवाने से आने वाले माननीय सदस्य ने मूव किया था, और मैं समझता हूँ कि वह बहुत विपरीत साबित हो जाता और दर असल में इस तरह का होता जिससे एक तरह की पोजीशन पैदा होती। कल भी मैंने निवेदन किया था और आज भी करना चाहता हूं कि सब-लेटिंग के अन्दर जिस प्रकार की गुंजायश दी है और जिस प्रकार बिल में क्लॉजेज़ पास किये, जिनके अनुसार खातेदार टिनेन्ट या खुदकाश्त होल्डर अपने सब-टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त से एक लिमिट से ज्यादा प्रोफिटियरिंग नहीं कर सकता, रेक रेन्टिंग नहीं हो सकता। तो उस समय के लिये जब तक कि हमने सुविधा दी है दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अल्टीमेटली उसमें लाना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन ऑफ प्रोफिट कम कर दिया। खास संभावना तब होती है जब कि प्रोफिट ज्यादा हो, लेकिन बन्दिश लगा देते हैं तो इसकी कोई गुंजायश नहीं रहती। इस चीज़ को कानून में लाना ज्यादा उपयोगी होगा, इसलिये हमने इस अमेंडमेंट को आपस में चर्चा करके सदन के समक्ष पेश किया है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, सब-लेटिंग पर कल बहुत वाद-विवाद हुआ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसीलिए इस क्लॉज़ का कन्सीडरेशन कुछ समय के लिए डेफर किया गया था। उसके बाद कुछ लोग आपस में मिले और उन्होंने अभी डिडवाने से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा रखा गया अमेंडमेंट वापिस लेकर दूसरा अमेंडमेंट प्रस्तुत किया। जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने बताया है कि इस अमेंडमेंट और सिलेक्ट कमेटी से निश्चित किये गये क्लॉज़ में बहुत कुछ अन्तर नहीं है। लेकिन मुझको उन दोनों में अन्तर प्रतीत होता है और वह अन्तर है सिद्धान्त का जो यह कि सब-लेटिंग को हम उस वक्त स्वीकार करते हैं जब कि खातेदार या खुदकाश्त होल्डर अपनी जमीन पर खुदकाश्त करने के काबिल नहीं रह जाता, तब जमीन को कल्टीवेट करने का राइट ट्रान्सफर किया जाता है सब टिनेन्ट को कि वह उस पर काश्त करे। सिवाय काश्त करने के और कोई राइट जमीन का सब टिनेन्ट को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यह जो सब-क्लॉज़ (४) है अमेंडमेंट का वह राइट देता है सब-टिनेन्ट को—

"No sub-tenant or tenant of Khudkasht shall sub-let the whole or any part of his holding except in circumstances mentioned in section 37.

इसके मैं खिलाफ हूँ। जब आप सब-टिनेन्ट के प्रिन्सिपल को सिर्फ इसलिए अपनाते हैं कि जिस व्यक्ति में अपनी जमीन पर काश्त करने का सामर्थ्य नहीं रहे, वह दूसरे के जरिये काश्त करावे और उस सब टिनेन्ट को कोई हकूक कानून की तहत नहीं देते हैं। ऐसी हालत में आप यह भी अधिकार देना चाहते हैं कि यदि वह सब टिनेन्ट खुदकाश्त न करे तो उसको और सबलेट करने की

[श्री वेदपाल त्यागी]

पॉवर देते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह सिद्धान्त के विरुद्ध है। एक सब टिनेन्ट को उस समय सब-लेटिंग के अधिकार दे सकते हैं जबकि उसको उस जमीन पर पूरे अधिकार दिये गये हों, लेकिन उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते सिवाय इसके कि वह लीज़ के पीरियड में काश्त करता जाय। यदि वह काश्त करने की हालत में नहीं है तो आप कहें कि वह भी सबलेटिंग कर सकता है; यह सिद्धान्त के विरुद्ध है। कल भी मैंने कहा था कि जमीन उसी के पास रहनी चाहिये जो स्वयं काश्त करे और उस-पर उसके हकूक होने चाहिये। अगर आपने यह सिद्धान्त अपनाया कि सब टिनेन्ट को भी सबलेट करने के पॉवर दे सकते हैं या क्लॉज़ ३६ के अनुसार वह भी सब-लेट कर सकता है तो आप गलत दे रहे हैं और सिद्धान्त के विरुद्ध जा रहे हैं जिसके अनुसार कानून बनाने के लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सब क्लॉज (४) में से ये शब्द निकाल दिये जांय—

"except in circumstances mentioned in section 37."

वैसे तो अच्छा होता कि क्लॉज़ ३५ में यह क्लॉज़ आता—

"No sub-tenant or tenant of Khudkasht shall sub-let the whole or any part of his holding."

लेकिन क्योंकि क्लॉज़ ३५ पास कर चुके हैं और क्लॉज़ ३६ में यह रखा हुआ है इसलिये ये शब्द इसमें से निकाल दिये जांय—

"Except in circumstances mentioned in clause 37."

वह सिद्धान्त जिसके आधार पर हमने सब लेटिंग का प्रिन्सिपल क्लॉज़ ३५ के तहत माना है उसका पालन हो सकता है।

इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इसके लिए यह कन्वेन्शन कि सिलेक्ट कमेटी के जो मेम्बर थे उनको इस पर न बोलना चाहिये और न कोई अमेंडमेंट ही रखना चाहिये, उसको सेन्स को देख कि था और यही कारण कि ट्रेज़री बेन्चेज़ के चीफ व्हिप की तरफ से यह अमेंडमेंट आया....

श्री अध्यक्ष—You speak on the merits.

श्री वेदपाल त्यागी—I am speaking on the principles.

Page No.37

[श्री वेदपाल त्यागी]

यही कारण है कि चीफ विहप की तरफ से इस प्रकार का अमेंडमेंट आया जो उन सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत था जो सिलेक्ट कमेटी ने प्रतिपादित किये। यही कारण है कि आज भी सदन में बहुत विचार होने के बाद जब मुश्किलात मालूम हुई तो नया अमेंडमेंट मूव करने की इजाजत दी गई और नये अमेंडमेंट में सब क्लॉज़ (४) रखा गया जो इस सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है; जो सब क्लॉज़ ३५ पर बहस करते वक्त हम सबने एक साथ मिलकर यह कहा था कि हमको जमीन पर उसी को अधिकार देना चाहिये जो खुदकाश्त करता हो और अधिकार उस वक्त मिलना चाहिये जब कि उसमें उसका इन्ट्रेस्ट पैदा हो जाता है। सब टिनेन्ट का उस जमीन में कोई इन्ट्रेस्ट पैदा नहीं होता क्योंकि उसको थोड़े समय के लिये ही अधिकार दिये जाते हैं और लीज़ का पीरियड खत्म हो जाने के बाद काश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें से आखिरी ये शब्द निकाल दिये जांय—"except in circumstances mentioned in section 37"

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, अभी अभी क्लॉज़ ३६ के अमेंडमेंट के सिलसिले में माननीय त्यागीजी ने फरमाया कि इसका जो सब क्लॉज़ [४] है उसके आखिरी शब्द—"except in circumstances mentioned in section 37." डिलीट कर दिये जाय; तो आपने ही स्वयं कहा कि सबलेटिंग के पीछे एक सिद्धान्त है और वह यह है कि हम सबलेटिंग उन्हीं को एलाऊ करें जो स्वयं काश्त नहीं कर सकते और जो किसी कारण से काश्त नहीं कर सकने के कारण उनको सबलेटिंग करना जरूरी हो जाय। जहां तक खातेदारी काश्तकार, गैर खातेदारी काश्तकार या खुदकाश्त वाले हैं उनके लिए इस प्रकार का प्रोविज़न है और उनके लिए सबलेटिंग करने का पीरियड अलग अलग नियत है; जैसे गैर खातेदार काश्तकार के लिए अलग पीरियड है, खातेदार के लिए अलग है और खुदकाश्त वाले के लिए अलग पीरियड है सबलेट करने का। ऐसा भी हो सकता है कि पहले सबलेटिंग का प्रयास नहीं हो। आया सब-टिनेन्ट को सबलेटिंग का अधिकार है या नहीं, इस पर गंभीरता से विचार किया गया। माननीय मित्र इस बात को गम्भीरता से सोचते तो आखिरी लाइन को डिलीट करने का नहीं कहते। एक सब टिनेन्ट जिसको ५ वर्ष के लिये काश्त करने के लिए कहा गया है, डिसएब्लिड हो जाता है या और किसी कारण से काश्त नहीं कर सकता तो फिर उस जमीन क्या होगा क्योंकि खातेदार या जिसकी जमीन है वह तो सब टिनेन्ट से अकॉर्डिंग टु कांट्रेक्ट अपना लगान ले लेगा और बराबर रिएलाइज़ करता रहेगा। इसलिए उसको फिर सबलेटिंग के अधिकार नहीं दिये गए क्लॉज ३६ के अन्तर्गत तो उस सब टिनेन्ट के लिए बड़ी कठिनाई हो जायगी। इसलिये आपने जिन शब्दों को डिलीट करने की बात कही है वह अपनी भावना के विपरीत बात कही है। एक बार सब-लेटिंग होने के बाद उस सब टिनेन्ट को भी ऐसा अधिकार हो जाना चाहिये जैसा कि खातेदार टिनेन्ट को है इसलिये इस क्लॉज को अमेंडमेंट सहित स्वीकार किया जाय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर ने बताया, जो तरमीम डीडवाने से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश की थी उसमें दर असल सिद्धान्त

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

का भी फरक है। डीड़वाने से आये हुये माननीय सदस्य का सुझाव यह था कि कोई भी सब-लेटिंग ५ साल से कम का नहीं होना चाहिये। ज्यादा हो या नहीं, यह उनका सुझाव नहीं था। ऐसी भी स्थिति इस तरमीम से आ सकती थी कि एक खातेदार टिनेन्ट या खुदकाश्त होल्डर ४० साल के लिए भी, बगैर टिनेन्सी एक्ट के किसी नियम का कॉन्ट्राविन न करते हुए, सब-टिनेन्ट को दे सकता है और जो शब्दावली उन्होंने रखी थी वह इसके लिये कोई रुकावट नहीं करती थी।

मौजूदा सुझाव है वह यह है कि कोई खुदकाश्त होल्डर या खातेदार टिनेन्ट ५ साल से ज्यादा सब टिनेन्ट नहीं रख सकता। वह भी एक दफा के लिए हो। चाहे तो एक दफा सब टिनेन्सी के लिए दे दे; ५ साल से कम वह करता है तो जब तक दो साल तक काश्त नहीं कर ले तब तक दुबारा सब-लेट नहीं कर सकेगा।

इसके बाद में श्री त्यागीजी ने सुझाव रखा वह सब टिनेन्सी का कोई अधिकार नहीं देता जमीन पर वह फिक्स्ड टाइम के लिये काश्त करे, यह बात वाकयात से बहुत दूर है। अगर वे माननीय सदस्य जो सवाई माधोपुर से आये हुये हैं, उन्होंने जो तरमीम पेश की थी और जो पास हो चुकी है उसे ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है :

"Provided that no consent of the landholder shall be necessary in respect of any land held by a tenant of Khudkasht or sub.tenant if the area of such land is not in exceess of the minimum area prescribed by the State Government for the purposes of section 131"

इसका मतलब यह हुआ कि हमने सब टिनेन्ट को इम्प्रुवमेंट करने के अधिकार दिये हैं और जमीन में कूआ खुदवाने के तथा और भी अधिकार दिये हैं। और क्लॉज़ १६ ए. में सबटिनेन्ट्स को खातेदारी हक़ूक प्राप्त करने के अधिकार हैं। पर मान लीजिए कि उसके पास पैसा नहीं है जिससे वह निकट भविष्य में खातेदारी हक़ूक प्राप्त करने के लिए दरख्वास्त पेश करें या दरख्वास्त मन्जूर होने की सूरत में वह ऐसी स्थिति में आवें कि खातेदारी हक़ूक ले सकें, अगर वह माइनर है या पलटन [सेना] में चला जाता है तो क्या वह अपनी जमीन से बेदखल हो जायगा? उसका सब-टिनेन्सी का अधिकार भी, जिसे हम १६ ए. में खातेदारी का हक देना चाहते हैं, डिसएबिलिटी होने की सूरत में क्या उसका यह छोटा सा हक भी छीन लिया जाय? मैं समझता हूं कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य की यह मन्शा नहीं है। क्लॉज़ ३६ की तरमीम वहां रखी गई है वह इसलिए रखी गई है कि अगर कोई सब टिनेन्ट जिनको कि खातेदारी हक़ूक प्राप्त होने वाले हैं, उसे प्राप्त करने में उनको समय लग सकता है, क्लॉज़ ३७ में मेंशन्ड डिसएबिलिटीज़ आ जाती हैं तो ऐसी सूरत में उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिये। उन्ही को प्रोटेक्शन देने के लिए सब क्लॉज़ ४ रखा गया है।

ऐसी सूरत में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

Page No.39

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, जो तरमीम क्लॉज ३६ पर सदन के समक्ष आज उपस्थित हुई है और जिस विषय पर कोटा से आने वाले माननीय सदस्य और नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रकाश डाला है उन माननीय सदस्यों की राय में क्लॉज.......

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य अपनी तरमीम के लिए क्या कहते हैं ?

श्री माथुरादास माथुर—मैं उसी के लिये बोलने खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप अपनी तरमीम पर बोल चुके हैं ।

श्री माथुरादास माथुर—मुझे राइट ऑफ रिप्लाई भी तो है ।

श्री अध्यक्ष—अभी मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल ने जवाब नहीं दिया है ।

(विराम)

For the amendment that was moved the Hon'ble Member has already spoken and if he wants to repeat the same arguments I doubt whether he has a right of speaking again.

श्री मथुरादास माथुर—I do not want to exercise my right of speaking on my amendment, but I have a right to speak on the amendment in reply to the Hon'ble Member.

श्री अध्यक्ष—The right of reply will accrue after the Hon'ble Minister has spoken and replied to your arguments.

श्री मथुरादास माथुर--Supposing I want to withdraw and speak on this thing...

श्री अध्यक्ष—First withdraw and then speak.

श्री रघुराजसिंह—On a point of order, Sir, the Hon'ble Member was not present at that time and that amendment was not moved by the Hon'ble Member. I want to know whether he has any right of reply?

श्री अध्यक्ष—I allow him to speak on the present amendment. He has his own amendment and he may speak on that unless he wants to withdraw it.

श्री मथुरादास माथुर—I have got an amendment of mine, but I have no mind to move that I have to withdraw that amendment. That is why I have taken the opportunityof speaking I shall come to withdraw it at the end of my speesh. But if the Speaker wants that I should withdraw it before speaking on the amendment, I have no objection because the Revenue Minister has already said before the House that we are taking the whole thing after discussion anew.

श्री अध्यक्ष--When the Hon'ble Minister has put in an amend nent, I think this is an ameridment from the Treasury Benches and the necesaary thing is that all those amendmets which have been moved formerly should be withdrawn if they were sponsored by the Tiaasury Benches, that is what I mean .

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, अपनी तरमीम जो मैंने सदन के समक्षपेश की थी उसको मैं विदड्रॉ करने का अपना इरादा रखता हूँ और जिस समय मौका आयेगा मैं अपनी तरमीम विदड्रा भी करूंगा।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने खास तौर से इस ओर इशारा किया कि जो तरमीम पहले रखी अगर अब रखी जा रही है, उनमें आपस में विरोध है और सिलेक्ट कमेटी में भी इस पर विचार हुआ था तो उस वक्त जिस सिद्धान्त को लेकर हम चले थे, उसी सिद्धान्त के विरोध में हम यह तरमीम पेश कर रहे हैं।

मैं सदन के समक्ष यह रखना चाहता हूँ कि न तो सिलेक्ट कमेटी में जो तरमीम रखी थी उससे उस सिद्धान्त की हत्या होती है जिस सिद्धान्त को लेकर हम चले थे। सिलेक्ट कमेटी में इस बात पर बहुत जोर डाला गया था और वह यह सिद्धान्त था कि जो जमीन को जोतता और बोता है जमीन उसी के पास रहनी चाहिये और सब-लेटिंग को डिसकरेज करना चाहिए। इसी भावना को लेकर चले थे। अगर मैंने जो बात पहले कही उसको याद करें तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि हमको वह तरमीम सब-लेटिंग को डिसकरेज की ओर ले जाती थी। मैंने तरमीम में कहा कि पांच वर्ष से कम सब-लेटिंग नहीं होना चाहिए। इसके माने यह होते थे कि कोई भी खातेदार या खुदकाश्त होल्डर किसी व्यक्ति को अपनी जमीन पांच साल तक के लिए देने के लिए तभी तैयार होता जब वह यह समझ लेता कि ५ साल तक उसको उस जमीन पर काश्त नहीं करनी है, वर्ना ऑर्डिनरीली ५ साल की इजाजत देना, अगर इस तरफ आप देखें तो आपको मालूम होगा और आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कोई भी व्यक्ति इतने लम्बे समय के लिए अपनी जमीन को किसी दूसरे के हाथ देने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि वह जानता है कि ५ साल जमीन दूसरे को देने के बाद वह ५ साल पहले उसको बेदखल नहीं कर सकेगा और उसके बाद भी दो साल तक उसको खुद को खेती करनी होगी, तभी वह दूसरे को दे सकता है। वर्ना उसी व्यक्तिके पास वह जमीन रहेगी। यानि १० के लिए कोई अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर १० वर्ष कोई भी व्यक्ति सब-

[श्री मथुरादास माथुर]

टिनेन्ट की हैसियत से उस जमीन को रख लेता है तो १० साल में न मालूम कितनी तब्दीली हो जाती हैं कि वह जमीन ही चली जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मेरा मतलब सब-लेटिंग को डिस्करेज करना के लिए ही थी। विरोधी दल के नेताओं की तरफ से बहुत कुछ कहा गया सब-लेटिंग के लिए। सिलेक्ट कमेटी में हम सब-लेटिंग को डिस्करेज करते थे और आज भी जो तरमीम है उसमें भी डिस्करेज ही करते हैं। भेद इतना ही है कि अलग अलग तरीके हैं। मैंने जो तरमीम पहले रखी है वह सिलेक्ट कमेटी में विचारधारा रखी उसके विरुद्ध है।

दूसरी तरमीम जो मैंने रखी उसके विषय पर बोलते हुए मैंने कहा कि ५ वर्ष का समय मैंने इसलिए रखा कि जो सब-टिनेन्ट हो वह उस जमीन पर कुछ सुधार करे वर्ना वह कुछ सुधार नहीं करता। इस पर कई डिफीकल्टीज़ रखी गईं और उसके बारे में विचार किया और कोई साथियों ने विचार किये और इस एमेंडमेंट पर पहुंचे जो आज माननीय मन्त्री ने सदन में रखा है। इस तरमीम से जो कहा गया उससे काफी हद तक सब-लेटिंग का डिस्करेजमेन्ट ही होता है। हमने मेग्ज़िमम समय ५ साल का रखा है और उसके बाद २ वर्ष तक खुद उस पर काश्त करनी पड़ेगी। उसके बाद में वह दे सकता है। यह बन्दिश हमने उस पर लगा दी और अगर वह खुद नहीं बोतता है तो उसको वह जमीन उस काश्तकार को देनी होगी जिसको पहले दी हुई थी। इससे स्थिति टेन्योर की बन जाती है, टिनेन्ट को बदलने की भावना बदल जाती है। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि जितनी तरमीमें इस पर आई हैं वे सब इसी तरफ इशारा करती हैं कि सब लेटिंग को डिस्करेज करना चाहिये और सब लेटिंग हल्के हल्के बन्द होना चाहिये। इसके सिद्धान्त में कोई मतभेद नहीं हैं। इसलिए माननीय मन्त्री ने संशोधन मेरा रखा है वह आपसी राय से रखा गया है। मैं अपनी तरमीम को विद्ड्रा करता हूँ और इसके सपोर्ट में अपने ये विचार रखे हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—श्री अध्यक्ष, अभी सदन के सामने माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो संशोधन पेश किया है उसके सिद्धान्त का विरोध छबड़ा से आये हुए सदस्य ने किया और करौली से आये हुए सदस्य ने जिस तरह की आपत्तियें उठाईं और विरोध किया उनके विरोध में और रेवेन्यू मिनिस्टर के पक्ष में कहने और उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

जहां तक दोनों पार्टीज़ मिल कर इस निर्णय पर पहुँची हैं और जिस तरह से उन्होंने ५वर्ष के लिये खेती करने का मौका देने का इरादा रखा है और यदि खातेदार ५ वर्ष के बाद चाहता है कि उस व्यक्ति से जमीन छुड़ा ले तो उसको दो साल तक खुद काश्त करनी होगी और अगर वह खुद काश्त नहीं करना चाहता है तो उसको उसी काश्तकार को देनी होगी जिसको पहले सब टिनेन्ट रखा है। यदि देखा जावे तो यह सब टिनेन्ट के साथ कोई ज्यादती नहीं है। जहां तक व्यावहारिक दृष्टि से देखा जावे या कानूनी दृष्टि से देखा जावे मैं समझता हूं कि उन पर किसी तरह का कुठाराघात नहीं होता और जो अड़चन नजर आती है वह अड़चन नहीं है बल्कि उनको सुविधा ही मिलते

[श्री कंवरलाल जेलिया]

वाली है। मैं तो यह कहूंगा कि हमको इसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं डालनी चाहिये। हां अगर कोई कानूनी अड़चन हो तो बतानी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि आज की राजस्थान की स्थिति को देखते हुए माननीय राजस्व मंत्री ने दोनों पक्षों के साथ मिल कर जो तरमीम पेश की है वह वजिब है और उसको मानने में किसी को कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये। इतना कह कर मैं माननीय राजस्व मंत्री ने जो तरमीम रखी है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुझे इस संबन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर माननीय सदस्यों ने, मैंने जो तरमीम पेश की है उसका समर्थन किया है। कोटा से आने वाले सदस्य ने एक बात कही। मैंने सब कारण स्पष्ट कर दिया है और मैं भी यह एमेंडमेंट करना चाहता कि पहले यह नहीं करने का कारण यह है कि क्लॉज़ १६ अभी पेन्डिंग है उसमें एक लिमिट तक हम एक टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स देने का एमेंडमेंट आया है और जो प्रस्ताव किया जा रहा है उसमें इस बात का समावेश है जब तक कम० नहीं देदे तब तक राइट्स ऑफ इम्प्रूवमेन्ट दिये हैं और इस प्रकार हम उनको परमानेन्ट सिक्योरिटी देते हैं। समय मिलने पर आवश्यकता हो तो वे सब लेट भी कर सकते हैं। इसके लिये इस क्लॉज़ में इसका समावेश किया गया है। मैं आशा करता हूं कि इसको पास करेंगे।

श्री **अध्यक्ष**—क्लॉज़ ३६ पर संशोधन श्री मथुरादास, श्री भीमसिंह, श्री गोपीलाल के हैं, अगर वे प्रेस करें तो इन पर मत लिये जा सकते हैं।

श्री **मथुरादास माथुर**—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री **मथुरादास माथुर**—मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री **भीमसिंह**—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री **भीमसिंह**—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बृजसुन्दर ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गोपीलालजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६ जो मौजूदा बिल में है उसके बजाय सबस्टीट्यूटेड क्लॉज़ ३६, जो रेवेन्यू मिनिस्टर ने रखा है वह विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

मंत्री महोदय द्वारा सबसटीट्यूटेड नया क्लॉज़ ३६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

खण्ड ३७

We take all these amendments as moved. All the legal complic-ations might be crenoued

The Hon'ble Member will speak on it, if he so desires,

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

All these amendments have been moved. Now debate on the clause.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—I have not followed the discussion.

श्री अध्यक्ष—Because the Hon' ble Member was absent?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Now, I am present.

श्री अध्यक्ष—Should I repeat all these things ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Just now what was the discussion ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्षजी; आपका आदेश यह हुआ है कि जो अमेन्डमेन्ट श्री कपिलदेवजी ने रखा है उसको सब्स्टीयूट करने के बारे में मैं वह अमेन्डमेन्ट पढ़ दूं, मैं समझता हूं ज्यादा ठीक होगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मेरे बाकी के जितने अमेन्डमेन्ट्स हैं उनके लिऐ भी क्या मैं यह समझ लूं कि ये ही (राजस्व मंत्री) पेश करें ?

अध्यक्ष—वे आएंगे जब निर्णय कर देंगे।

(श्री कपिलदेव अग्रवाल द्वारा बोलने के लिए उद्यत होने पर)

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—The Revenue Minister is in possession of the floor of the House.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—I have just spoken on a point of order that I have moved at least 30 to 40 amendments on various sections. If this is the position that the Revenue Minister will move my amendments, then so far so good

श्री अध्यक्ष—I am sorry the Hon' ble Member was absent and he wants me to repeat the same arguments and the same rulings that I have given' I am not in a positon to do so. If the Hon'-ble Member is so particular he should look into the proceedings.

Page No.45

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Then I was absent, but now when my second amendment......

श्री अध्यक्ष—When the second amendment will come the Chair will give its ruling whether the Hon'ble Member is entitled to move it or not. As regards this particular amendment, I do not allow the Hon'ble member to move it.

(विराम)

Shri Mohan Lal Sukhadia.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष जी, मैं उस अमेंडमेंट को जो सब्स्टीट्यूट करने के लिए रखा गया है पढ़ दूं। वैसे तो यह सरकुलेट हो चुका है :

The present clause 37 be sustituted by the following :

"37. Letting or sub-letting in exceptional cases—(1) The restriction imposed by section 36 on letting by a holder of Khudkasht and on sub-letting by a tenant shall not apply to—

(a) a minor, or

(b) a lunatic, or

(c) an idiot, or

(d) a woman who is unmarried or divorced or separated from her husband or is a widow, or

(e) a person incapable of cultivating his holding by reason of blindness, or physical disability or informity, or

(f) a person who is a member of the Armed Forces of the Union, or

(g) a person who is suffering detention or confinement in prison, or

(h) a person not exeeding twenty five years of age, who is a student prosecuting his studies in a recognised institution :

Provided that where a holding is held jointly by more persons than one, the provisions of this section shall not apply unless all such persons are of one or more of the descriptions specified therein.

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(2) A lease or sub-lease which would be invalid but for the provisions of sub-section (1) shall not remain in force more than two years after the lessor dies or ceases to come within any of the descriptions specified therein."

मैं समझता हूं कि मूल क्लॉज़ जो सिलेक्ट कमेटी ने सदन के समक्ष रखा है उसमें और इसमें जो मेजर चेन्ज है वह इस बात का है कि उसके अन्दर गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को भी इस बात की इजाजत दी गई थी कि वे भी इस ३७ वें क्लॉज़ के अन्तर्गत सबलेट कर सकते हैं, ३६ वें क्लॉज़ से भी अधिक समय के लिए। लेकिन यहां पर सदन के अन्दर काफी चर्चाएं हुई और इस बात के लिए ज्यादा जोर दिया गया कि बहुत से व्यक्ति गवर्नमेंट-सर्विस में हैं और एक तरफ गवर्नमेंट सर्विस में होने की वजह से उनके पास होल्डिंग का जरिया है और दूसरी तरफ कुछ बातों की संभावना हो सकती है। उसको इस प्रकार रख देने से मिसयूज़ होने की बात आयी। इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए जो प्रोविज़ो रखा गया था उसको डिलीट कर दिया गया है और वैसे आम तौर पर जो मूल धारा है उसको यहां सब्स्टीट्यूट करने के लिए यह रखा गया है।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, मूल क्लॉज़ में अमेंडमेंट डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था, मूल क्लॉज़ के विरूद्ध भी मैंने अमेंडमेंट रखे थे। उन अमेंडमेंट्स में एक अमेंडमेंट सिविल सर्विस के बारे में था जो कि मान लिया गया। लेकिन मेरे दूसरे दो-तीन अमेंडमेंट और थे। एक तो था माइनर के बारे में और दूसरा था स्टुडेन्ट्स के बारे में। माइनर और स्टुडेन्ट्स दोनों को क्लॉज़ ३७ में एक्चुयली प्रिविलेज्ड माना गया है और उनको जो राइट्स दिये गये हैं; क्लॉज़ ३६ में कहा गया है कि सब-लेटिंग कर सकते हैं। हम प्रिन्सिपली, नीति के अनुसार तो सब-लेटिंग नहीं मानते हैं, किन्तु यहां की व्यवस्था को देखते हुए हमें सब-लेटिंग का अधिकार देना पड़ा। कल भी ३५ वें क्लॉज़ की चर्चा के समय मैंने कहा था कि "Land should go to the tillers." मैं सब-लेटिंग के विरूद्ध था। सबने मंजूर भी किया उस नीति को और नीति के मानने के बाद भी व्यवस्था को देखते हुए सब-लेटिंग की जरूरत पड़ती है और यह भी कहा गया कि सब-लेटिंग को डिस्करेज करते हुए भी हम उसको रखेंगे। लेकिन क्लॉज़ ३६ अभी पास किया गया; उससे जाहिर होता है कि सबलेटिंग को डिस्करेज करने का वास्तविक उद्देश्य नहीं था और न उससे डिस्करेजमेंट ही होता है। अभी जो क्लॉज़ ३७ वां है उसमें और क्लॉज़ ३६ में जिन जिन व्यक्तियों को सबलेटिंग के अधिकार दिये हैं उसके अलावा भी प्रिविलेज दिया गया है। सेक्शन ३६ के कन्ट्रोल के बाहर भी सब-लेटिंग के लिए जो दृष्टिकोण रखा गया है बावजूद इसके कि यह सिद्धान्त मानते हुए कि should go to the tillers" क्लॉज़ ३७ में जिन व्यक्तियों को देना है उनके नाम बताये गये हैं और उनमें से माइनर भी हैं और स्टूडेन्ट्स भी हैं। "माइनर" शब्द का विरोध करने का मतलब यह नहीं है कि जो बच्चा कम उम्र वाला हो और यदि उसके बाप का देहान्त हो जाय और सरकार उसको अधिकार न दे। मैं चाहता हूं कि नाबालिग किसान के बच्चे को हक मिले और वह इसलिए मिले कि बच्चा जब तक बड़ा न हो सब-लेट न करे क्योंकि वह जमीन तो उसके पास नहीं रह सकती है।

[श्री मोतीलाल चौधरी]

मैं उस माइनर का विरोध करता हूँ जिसका बाप, चाचा भाई जिन्दा है और जिन्दा रहते हुए भी उस माइनर के खेत का काश्त कर लेते हैं। मैं कुछ मिसाल दूं आपको।

माननीय अध्यक्ष, कुछ लोग मेरे बोलने के बीच में बाधायें डाल रहे हैं। मैं उनसे भी साफ कह दूं, जिस तरह से मेरा दृष्टिकोण साफ है। एक किसान का लड़का जो नाबालिग है उसे सब-लेट करने का अधिकार दीजिये। लेकिन वह लड़का बहुत छोटा सा है, उसके लिये खातेदारी राइट्स रखे वह लड़का जो खेती करता नहीं और जिसने कभी खेती की नहीं और बेटे के नाम से जिन्होंने जमीन ले रखी है उसको कभी सब-लेटिंग के अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये, मैं उदाहरण के लिये इंगलेन्ड की बात कहता हूँ। वहां रोअल प्रोपर्टी और इक्वीटेबल स्टेट्स के राइट्स को केन्सल करने के लिये वहां बच्चे के नाम कर दी जाती थी। क्लॉज़ १०७ में हमने कुछ इक्वीटेबल राइट्स दिये हैं। उनको लागू करने के लिये कई तरह की कार्यवाही करनी होती है। इसी तरह से हम माइनर को भी देखते हैं। माइनर के नाम से जो खातेदार खेती करता नहीं और शहर में बैठा नौकरी करता है और अपनी जमीन को सब-लेट कर देता है और मजे से उसकी कमाई को खाता है उनके लिये यह सहूलियत नहीं होनी चाहिये कि वे अपनी जमीन को लड़के के नाम रख सके। वह केवल दो साल के लिये ही नहीं किन्तु अनलिमिटेड पीरियड के लिये उसका सबलेटिंग कन्टिन्यु करेगा। स्टूडेन्ट्स के लिये भी यही सीमा रखी गई है। इसीलिये जागीरदारों ने सेटलमेन्ट के समय बड़ी बड़ी जमीनें अपने लडकों के नाम, अपने बच्चों के नाम, विधवा माता के नाम से करवाकर उन जमीनों को टिलर्स के हाथ बेच दी हैं।

श्री हिम्मत सिंह—विधवा पत्नी के नाम से भी।

(६.५५ पर श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक मेरे अमेन्डमेन्ट के शब्द हैं, बिल्कुल साफ हैं। लोग समझते हुए भी बाधायें डाल रहे हैं। हमारे जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि हमारे यहां कई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जैसे राजाओं के पासवानों के बच्चे होते हैं जिनके बाप का पता नहीं होता हैं उनके लिये भी हमें कुछ प्रोवीजन रखना ही होगा। मेरा दृष्टिकोण यह है कि जिस बच्चे का बाप है या जिसका वह लेजिटिमेट सन है और उसके बाद उसके बाप का देहान्त होता है और वह लेजिटिमेट सन है, वह लीगली फादर होते हुए अगर वह माइनर के नाम से सबलेट करता है तो मेरा उसमें विरोध नहीं है, आप माइनर स्टूडेन्टस के शब्द को हटाकर ऐसा कर दीजिये कि जब तक वह पच्चीस साल का नहीं हो जाता है वह सब-लेटिंग कर सकता है। इसमें क्लॉज़ ३६ का उद्देश्य भी हो जाता है। फादरलेस रखने से इसका अर्थ दूसरा ही हो जाता है। इसलिये वर्तमान अमेन्डमेन्ट में यह प्रोवीज़ो एड कर दिया जावे, तो कोई सन्देह नहीं रहता है।

[श्री मोतीलाल चौधरी]

"Provided that where a holding is held jointly by more persons than one the provisions of this section shall not apply unlees all such persons are of one or more of the descriptions specified therein." यहां इतना ही रख दिया जाय:-

"Provided that where the holder is a member of the joint family the provisions of this section shall not apply unless all such persons are of one or more of the descriptions specified therein"

यानी जिसके नाम से खेती रहेगी वह होल्डिंग जोइन्टली होगी उस खाते के अन्दर सब मेम्बर्स का नाम लिखा हुआ होना चाहिये। अगर पांच आदमी घर में हैं तो वहां बच्चे के नाम से भी इन्दराज रहना चाहिये। महज माइनर, स्टूडेन्ट के नाम से अगर वह जोइन्ट फेमिली का मेम्बर है तो उसका राइट होगा। इससे साफ होता है;

"Provided that where the holder is a member of the joint family the provisions of this section shall not apply unless all such persons are of one or more descriptions specified therein."

इससे आपका उद्देश्य भी सर्व हो जाता है, अगर कोई जमीन उन आदमियों में जोइन्ट फेमिली से होल्डेड है जिनको स्पेशल राइट्स दिये हुए हैं। जोइन्टली होल्डेड में सब मेम्बर्स के नाम रहेंगे।

Holded jointly by a member of the joint family... ..

मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है।

श्री हिम्मत सिंह--what is holded ?

(हंसी)

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष, जान बूझकर विरोध करते हैं, मेरा विरोध था कि सब लेटिंग कतई इसमें न रखा जाय, क्लॉज़ ३१ में आप इस जिम्मेदारी को ट्रान्सफर करना चाहते हैं। एकचुअल माइनर या स्टूडेन्ट जो है वह जोइन्ट फेमीली का मेम्बर है तो मेरा संमइअन्डमेन्ट से यह उद्देश्य साफ हो जाता है। माननीय मित्र मेरे उद्देश्य को अच्छी तरह समझ गये होंगे और मैं आशा करता हूं कि इस उद्देश्य को ग्रहण करेंगे।

दूसरा एक तरफ मेरा अमेंडमेंट जो था वह नं० १२५ पर है। उसमें था जिन आदमियों को स्पेशल राइट हम दे रहे हैं, यह साफ जाहिर है कि उन लोगों से खेती नहीं होगी इसलिए उनके

[श्री मोतीलाल चौधरी]

जीवन-निर्वाह के लिए हम उन लोगों को सबलेटिंग की इजाजत देते हैं। यह साफ चीज़ है, वह एक्च्युअली काश्तकार नहीं है। इन क्लॉज़ेज़ को, जिनको हम स्पेशल राइट्स दे रहे हैं उसके लिए मैंने एक अमेंडमेंट रखा है वह नं० १२५ है। इस प्रोविज़ो के पीछे लगा दिया जाय :

Add the following proviso to sub-clause (2) of the clause:

Provided further that no land shall be allotted to the persons mentioned in this section after the commencement of this Act,"

मेरा उद्देश्य साफ है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, सब लेटिंग का विरोध करते समय ६० ए के अनुसार सब-लेटिंग को खातेदारी राइट दे रहे हैं। इसके बाद में वह जमीन सब-लेटिंग की जमीन रहेगी, खुदकाश्त के नाम से हजार बीघा जमीन है। आज तक सरकार के पास जो जमीन है वह जमीन होगी। चम्बल भाखरा में जो जमीन काश्त होगी उसके लिए स्पेशल राइट नहीं है। वह जमीन गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा राजस्थान के और किसी प्रकार की भी जमीन नहीं रहती। हमारे यहां तीन प्रकार की जमीनें हैं जो सब-लेटिंग के लिए या खुदकाश्त के लिए दी जाती हैं, उनमें से एक तो सरकार के पास की जमीन है जिस पर अभी तक खातेदारी राइट नहीं रहेंगे, वह सेरन्डर करके ले लेंगे। इन तीनों जमीनों के अन्दर स्पेशल राइट देते हैं। जिन लोगों से काम होता नहीं या जो काम करने लायक नहीं हैं उनको गुजारे के लायक जमीन दी जाय ताकि वे सब लेटिंग कर लें और अपना जीवन निर्वाह कर लें। इससे साफ है कि इस प्रोवीजो को एड कर देने से उन आदमियों को जमीन न दी जाय इस एक्ट के लागू होने के बाद में :

"Provided further that no land shall be allotted to the persons mentioned in this section after the commencement of this Act."

उद्देश्य साफ हो जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए आप जमीन माइनर या ईडियट या लूनेटिक को देते हैं इससे आप मिडिल क्लास की केअर नहीं कर रहे हैं।

तो कहने का उद्देश्य यह है कि यह प्रोविज़ो जो है इसको ग्रहण करें और होल्डर अगर जोइन्ट फेमिली का मेम्बर होगा तो जमीन सबलेट नहीं की जावेगी, तो इससे क्या होगा कि गलत तरीके से ट्रान्सफर करके मिसयूज़ जो इसका करेंगे वह नहीं कर सकेंगे। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्रीजी और सदस्यगण मेरे इन दो सुझावों को स्वीकार करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन क्लॉज़ ३७ में अभी २ हाल में राजस्व मन्त्री ने पेश किया है उन संशोधनों को इस क्लॉज़ में जो संशोधन पहले एक

[श्री नाथूराम मिर्धा]

माननीय सदस्य ने रखा था उसके साथ देखें तो यह जो संशोधन अब जिस रूप में रखा गया है और जब एक बार हम सब-लेटिंग के प्रिन्सिपल को क्लॉज़ ३५ में स्वीकार कर चुके हैं और क्लॉज़ ३६ में उस बात को तय कर चुके हैं कि सबलेटिंग पर कुछ रेस्ट्रिक्शन्स होंगी और वे रेस्ट्रिक्शन्स टीनेन्ट्स में किस तरह से होंगी, खुदकाश्त होल्डर में किस तरह से होंगी, सब टीनेन्ट्स में किस तरह से होंगी, ये सारी बातें हैं तो इसके बाद में इस क्लॉज़ ३७ के जरिये कुछ ऐसे एक्सेप्शन रखते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन्स क्लॉज़ ३७ में हैं वे कुछ किसानों पर, कुछ तरह के लोगों पर जिनके पास जमीनें हैं लागू न की जावें और जो परिस्थितियां बताई गई हैं वे ऐसी हैं कि जिनमें एक्सेप्शन करना हमारे लिए जब हम कोई टीनेन्सी लॉज़ देखते हैं तो ह्यूमेनिटेरियन प्रिन्सिपल पर किसी भी गरीब किसान की आमदनी का जरिया कोई जमीन है तो हम ऐसी परिस्थितियों का भी ख्याल करें कि जिस वक्त में वह किसान या खुदकाश्त होल्डर अपने आपको ऐसी केपेसिटी में पाता है कि वह कुछ वजह से जमीन पर काश्त नहीं कर पाता। माननीय डीडवाना से आने वाले सदस्य ने अभी जो बात कही है अपने भाषण में और जो शंकायें जाहिर कीं कि इस तरह के क्लॉज़ेज़ को रखने से भी कानून के अन्दर लूप होल रहते हैं और इनके दुरुपयोग का खतरा है और इन क्लॉज़ेज़ को रखने से एक स्पेशल क्लास के ही पैदा होने का खतरा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ को जहां तक हम समझ पाये हैं उसका यह तात्पर्य नहीं है कि कुछ स्पेशल क्लॉस ऑफ टिनेन्ट्स ऐसी क्रीएट की जावे जो ज्यादा जमीन को रखकर भी शोषण के तरीकों को अपनाये। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इसको रखने का जहां तक जो उद्देश्य है वह यह है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं कि जिन पर किसान का बस न हो, जैसे कोई सचमुच पागल हो गया हो या कुछ ऐसी मानसिक स्थिति बन गई हो कि वह मैनेज नहीं कर सके या जबर्दस्ती से कोई मुकदमा बना दिया गया हो और जेल में जाने की नौबत आ गई हो, तो इस तरह की परिस्थितियां जिन पर आदमी का कोई कन्ट्रोल न हो सकता हो तो उनके पीछे कुटुम्ब के खाने-पीने का इन्तजाम इस जमीन से हो सके जिस पर कि वह पीढ़ियों से काबिज़ चला आया है इस ह्यूमेनिटेरियन प्रिन्सिपल को ध्यान में रखते हुये इस क्लॉज़ का निर्माण किया गया है।

अब उनकी जो शंकाएं हैं, हो सकता है कि कुछ समाज में ऐसे भी आदमी हों, कि जो कानून हम कई तरह के बनाते हैं और उन कानूनों को वे तोड़ते हों, तो कानूनों को तोडने वाले भी बहुत से हैं इस समाज में। इस समाज में ऐसे भी लोग हो सकते हैं, अक्सर मिलते भी हैं, कि जो इन कानूनों का दुरुपयोग करने और इन्हें तोड़ने के लिए नये नये तरीकों के जरियों का भी पता लगाते रहते हैं और इसमें सलाह मशविरा भी उन लोगों से करते है जिनसे उनके दिमाग से जरिये नहीं निकलें तो दूसरों के दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं। यह हो सकता है। पर अगर हम उन्हें बिलकुल उन जरियों से जो जरिये कानून को तोड़ने के निकाले जाते हैं उन्हीं का खयाल करके कानून में ऐसे प्रोवीजन न रखें जिसके जरिये से हम समाज के उन थोड़े से लोगो की मदद करना

[श्री नाथूराम मिर्धा]

चाहते हैं जिनमें परिस्थियां उनके काबू में न रहें तो क्या करें, उनकी मदद किस तरह से करें ? हमें उनकी मदद करनी है। इस उसूल को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है कि उनका मिसयूज होगा, तो हो सकता है उनका मिसयूज। पर इस डर से हम थोड़े से ईमानदार लोगों को राहत देने का काम बन्द नहीं कर सकते।

उनको शब्द 'माइनर' से भी मिसयूज होने का खतरा है, कि कोई आदमी जिनके पास में ज्यादा जमीन है वह उस जमीन को कानून से बचाने के लिए, सीलिंग के कानून से बचाने के लिए, और किसी कानून से बचाने के लिए, सब-लेटिंग की रेस्ट्रिक्शन्स से बचने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के नाम से ट्रान्सफर करके इन दिक्कतों से बच सकता है। इसीलिये आपने फादरलेस शब्द जोड़ने की बात रक्खी पर यह उपयुक्त सुझाव नहीं हो सकता। जितने भी माइनर के एक्ट देखने में आये हैं, कहीं भी उनके साथ फादरलेस शब्द नहीं है, तो फिर यहां पर भी एक नई बात रखकर कानून में कई प्रकार की लूप होल्स आप रखने जा रहे हैं। इसके कई गलत अर्थ लगाये जा सकते हैं, तो एक गलती को रोकने के लिए आप कई गलत चीजों में अपने को डाल लेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी— ऑन ए पोइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सर, मैं इस प्रोविजो के अन्दर "जोइन्ट फेमिली" शब्द रखने की बात कह चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह एक्सप्लेनेशन देना जरूरी बात नहीं है। यह भी जरूरी नहीं कि आपकी बातों से दूसरे कनविंस हो ही जावें। आपको अपना व्यू पोइन्ट रखने का अधिकार है, दूसरे उसको मानें या नहीं, इसके लिए मजबूरी नहीं है। ठीक है आपने अपने विचार रख दिये अब दूसरों को अपनी बात कहने दीजिये। इस तरह से अगर एक एक आदमी अपनी अपनी बातों पर बहस करेगा तो फिर यह सिलसिला तो खतम ही नहीं होगा। इसलिए बहतर यही है कि आप इनको जैसा ये चाहें बोलने दीजिये। बीच में इन्टरफीयर न करें।

श्री मोतीराम चौधरी—प्रोवीजो में मैं जिस तरह के शब्द जोड़ना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है। वे खुद ही मानते हैं कि यह सही नहीं हो सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा—तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री जवानसिंह—वाकई अगर ऐसी परिस्थिति आ जाय तो क्या हो ?

श्री उपाध्यक्ष—आपकी कोई जिम्मेदारी नही है।

श्री **नाथूराम मिर्धा**—नहीं साहब, कानून बनाते हैं तो ज्यादा लोगों को फायदा मिले, इसके लिए बनाते हैं, उसमें प्रायः एक्सेप्शन 'माइनर जैसी बातों के लिए रखना चाहते हैं तो इसका नोटिस कानून नहीं ले सकता है और इससे विशेष कोई समाज में कम्पलीकेशन भी नहीं होने वाला है।

श्री **उपाध्यक्ष**—यह तो शायद विनोद के लिए है। आप अपने विषय पर बोलिये।

श्री **नाथूराम मिर्धा**—तो जो यह तो सुझाव पेश हुआ है इसके साथ यह भी कहा गया है कि जोइन्ट फेमिली शब्द लगा दिया जाय तो इस शब्द के लगाने से भी कितने ही कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो सकते हैं और फिर जोइन्ट फेमिली की क्या डेफीनिशन है तो इसमें भी कई रास्ते लोग निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसमें से भी कोई रास्ता निकालने की कोशिश की थी पर वह रास्ता ठीक तरह से नहीं निकाल पाये। तो यह बात इस क्लॉज़ के अन्दर जो वह जुड़वाना चाहते हैं वह बहुत सोचने के बाद हम इस कन्कलूजन पर पहुँचे कि ऐसा आज तक किसी कानून में नहीं है। इसको ज्वॉइन्ट फेमिली में डालने का इसमें यह लिखा हुआ है कि उसके साथ में रहने वाले आदमी सब जिस केपेसिटी में माइनर है वैसी केपेसिटी में दूसरे नहीं हों तब तो एक्सेप्शन का फायदा नहीं मिलेगा। यह बात यदि इसमें लिख दी जाती है तो कानून का इन्टर्प्रिटेशन जब कभी यह सवाल उठेगा यही हो सकेगा। इस बात को कि एक्सेप्शन गलत तरीके से यूज़ होता जा रहा है, यह सारे एवीडेन्स अदालत के जब सामने आवेंगे, उस वक्त भी इस बात को देखा जा सकता है।

यह बात जो कि कह रहे थे कि एक दूसरा संशोधन जो उन्होंने अपनी ओर से बाद में कहा है कि इसमें फर्दर एलॉटमेंट के लिये इन लोगों को आगे जमीन नहीं देना चाहिये जो कि इस इन केपेसिटी से सफर करते हों। इसके लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस टिनेन्सी कानून को हम बना रहे हैं तो उस टिनेन्सी कानून के अन्दर जो बात हम तय कर रहे हैं उसमें फर्दर लेन्ड एलॉटमेंट का फ्यूचर लेन्ड एलाटमेंट करने का सवाल नहीं है। लेन्ड एलाटमेंट करने के सिलसिले में गवर्नमेंट के अलग रूल्स हैं, अभी कई जगह हैं। यूनीफॉर्म बेसिस पर, किनको किस तरह एलॉट की जाय उसके बारे में विचार कर सकते हैं। अगर कोई कमी है तो उस वक्त देख सकते हैं कि किन मेरिट्स पर किन लोगों को, किस तरह से, किन किन एरियाज़ में जमीन एलॉट की जाय। इस बात को दूसरी जगह रख सकते हैं। उस चीज का समावेश इस दफा में इस जगह करना उचित नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पहले का संशोधन डीड़वाने से आने वाले एक साथी ने रखा था उस संशोधन में और इस संशोधन में फर्क नजर आता है। पहला जो संशोधन था उस संशोधन में यह बात कही गई थी कि क्लॉज़ ३६ में दिये हुए रेस्ट्रिक्शन्स में इन लोगों के अलावा जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में, सिविल सर्विस में हैं उन लोगों के लिए अगर कोई जमीन हो तो सबलेटिंग के बारे में रेस्ट्रिक्शन्स उन लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा। यह संशोधन जिस समय सदन के अन्दर डिस्कस किया जा रहा था उस वक्त कई तरह से चर्चाएं चली थीं। कई माननीय सदस्यों

Page No.53

[श्री नाथूराम मिर्धा]

ने इस बात पर जोर दिया था और उनका यह मानना था कि सिविल सर्विस के लोगों को इस एक्सेप्शन के अन्दर नहीं रखा जाय और उसके पीछे दलील यह थी कि सिविल सर्विस के कुछ लोग सिवाय उन गरीब लोगों को छोड़कर जो कि फोर्थ क्लास सर्विस या थर्ड क्लास सर्विस में हैं, उसके बाद में जो सर्विस में हैं, रेवेन्यू के अन्दर जो ऑफिसर्स हैं खास तौर से उनको हरेक तरह की सुविधा रहती है कि कहां जमीन खाली है, कितनी जमीन खाली है, किस क्वालिटी की जमीन खाली है, वे आसानी से उसको अपने नाम एलॉट करवा सकते हैं, अपने दूसरे रिश्तेदार के नाम एलॉट करवा सकते हैं। इस तरह से जो लोग एलॉट करवाकर जमीन से कितनी ही दूर होकर जितने सुपर्वीजन की जरूरत है, वह नहीं करते हुए जमीन पर काबिज रहेंगे। उनकी जमीनों के लिए सबलेटिंग में इस तरह से एक्सेप्शन में डाल दिया जायगा तो उन जमीनों का मिसयूज होवेगा और वास्तव में जिन लोगों को जमीन की जरूरत है उन लोगों के जमीनें हाथ में नहीं आने वाली हैं। इस तरह की बहस हुई थी और यह आर्ग्यूमेन्ट काफी वजन भी रखता है। पुरानी इन रियासतों के इन इलाकों को देखें तो वहां कई कई जगह इस बात को देखते हैं कि जमीनें रिश्तेदारों को दिलवाई हैं, वे आज तक उसका फायदा उठा रहे हैं। कुछ पास्ट एक्सपीरियन्स से और कुछ फ्यूचर इमर्जेन्सीज़ को ध्यान में रखते हुए जो संशोधन डीडवाने से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था, उस संशोधन पर बहुत सी चर्चाएं हुई थीं। उस आधार पर नये रूप से संशोधन माननीय राजस्व मंत्री ने रखा है और उन शब्दों को हटा दिया है, क्योंकि ऐसी बहुत से सदस्यों की भावना थी और उस भावना की कद्र करते हुए, मेरे ख्याल से जो संशोधन रखा है वह सारे प्वाइन्ट्स को एग्ज़ामिन करके उसके पीछे जो स्पिरिट है और इस रूप में वह जिस भावना से रखा गया है, उस भावना को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल रीजनेबल है। वह जिस रूप में अब आया है उसको सदन के सब सदस्यों को मिलकर पास करना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३७ पर जो एमेंडमेंट आया है उसे देखने से वह बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। उसे देखने से यह विदित होता है कि सब लेटिंग का जो हमने उसूल स्वीकार किया उस उसूल के अन्तर्गत किन किन आदमियों को सबलेटिंग का फायदा पहुंचाया जा सकता है, और उनमें वे आदमी आते है जो कि क्लॉज़ ३७ में दिखाये गये हैं। हमने यह उसूल मान लिया है कि सबलेटिंग को डिस्करेज करना है। सवाल यह उठता है कि यह क्लॉज़ ३७ रहने के बाद में क्या हम सबलेटिंग को डिस्करेज करने के उसूल की ओर बढ़ रहे है या इनकरेज की ओर बढ़ रहे हैं? यह दलील दी गई है कि जो माइनर हैं, पागल हैं, अन्धे हैं, शरीर से अस्वस्थ हैं, विद्यार्थी हैं, कोई जेल में हैं या कोई मिलेट्री में है, ऐसे आदमियों को इस तरह की सुविधा दी जानी चाहिए सबलेटिंग की। मैं ऐसा मानता हूँ कि वह अवश्य दी जानी चाहिए, लेकिन जो एमेंडमेंट हमारे सामने है उससे मैं तो यह मानता हूँ कि हमने सबलेटिंग के उपर जो रेस्ट्रिक्शन्स रखी हैं और हमने जो उसूल निर्धारित किये हैं सबलेटिंग को डिसकरेज करने के वह इन सारी चीजों के लिए क्लॉज़ ३७ के अन्तर्गत अख्त्यार दे देते हैं, आम रास्ता खोल देते हैं सबलेटिंग का।

[श्रीचांदमल मेहता]

उपाध्यक्ष महोदय, जिन जिन कारणों से सब-लेटिंग को एलाउ किया गया है, मैं यह निश्चत तौर पर कह सकता हूं कि उनके अन्तर्गत जो भी आदमी सब लेटिंग के लिए रास्ता खुलवाना चाहते हैं, आजादी के साथ खोल सकते हैं। एक आदमी अपने बेटे के नाम जमीन ट्रान्सफर कर सकता है, और उसके बाद में उसको अधिकार मिल जाता है सबलेटिंग करने का। उसका बेटा बालिग हुआ तो उसके बच्चे यानी उसके पोते के नाम वह ट्रान्सफर की जा सकती है और उसको हक मिल जायगा सबलेट करने का। अगर किसी के पिता का देहान्त हो गया और उसका लडका बालिग है तो वह चाहेगा कि उस की माता के नाम ट्रान्सफर कर देगा उस जमीन को, उसकोबाद में उसको हक मिल जायगा सबलेट करने का। किसी फेमिली में कोई आदमी, जैसे पिता है, वह अन्धा हो गया है और उसके ४ लड़के हैं और सब कमाने वाले हैं तो उसके जरिये यह उनको अधिकार मिल सकेगा कि वह सबलेट करदें। इसका मतलब यह है कि सबलेट पर रेस्ट्रिकश्न्स लगाना चाहते हैं, सबलेटिंग को प्रोत्साहन न देकर निरुत्साहित करना चाहते हैं लेकिन इस क्लॉज़ ने सब का रास्ता खोल दिया है। तो, माननीय उपाध्यक्ष, इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि यह आवश्यक है कि इन लोगों को राहत दी जाय, लेकिन यह भी आवश्यक हैं कि इस क्लॉज़ का मिसयूज़ न हो। इसके संबंध में कोई न कोई व्यवस्था करें।

माननीय मिर्धा साहब ने इस संबंध में दलील देते हुए यह बताया था कि हमने ऐसी व्यवस्था की है कि जो जमीन ज्वाइंटली होल्ड की जाती है उसमें यह दिक्कत नहीं आने वाली हैं, तो मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा कि जहां तक जमीन का सवाल है वह ज़मीन जिस नाम पर दर्ज है, जो खातेदार बनाना चाहता है, यदि उसके अन्दर फेमिली के सारे आदमियों के नाम दर्ज है तब तो यह कहा जा सकता है कि ज्वाइन्टली होल्डिंग है, उसके लिए यह बात नहीं होगी। लेकिन एक व्यक्ति के नाम दर्ज है और घर में ऐसे कई व्यक्ति है जो सब बालिग हैं तो उस हालत में सबलेटिंग के वह अधिकार प्राप्त कर लेता है तो इस तरह से जो चीज रखी है, उससे उस चीज का हल नहीं निकलता है, बल्कि इसका हल यह निकलता है कि हम आम तौर से इस क्लॉज़ की आड़ में जमीनों को ट्रान्सफर करने के जो हक प्राप्त है उनके अन्तर्गत सबलेटिंग करने के अधिकार देते हैं।

मैं माननीय उपाध्यक्ष, निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज़ आवश्यक है। यह ऐसे ही रहे लेकिन इससे नाजायज़ फायदा नहीं उठाया जा सकता इसके लिये कहीं न कहीं व्यवस्था रखना आवश्यक है अभी यह दलील दी गई कि हम जोइन्ट फेमिली को इसमें रखेंगे तो कई कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो सकते हैं। अगर कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो सकते हैं तो हम दूसरे ढंग से कर सकते हैं। एक बार जब हम आपस में मिले थे तो यह तय हुआ था कि हम किन्हीं लीगल सूरतों का उपयोग करेंगे जिससे इसका दुरूपयोग नहीं होगा। मुमकिन है दुबारा फिर आपस में मिले हों, मुझे तो इसकी सूचना नहीं है, लेकिन जैसा कि

[श्री चांदमल मेहता]

मिर्धाजी ने कहा मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि फिर से सोचें । यदि ज्यादा आदमियों को फायदा होता है तो ज्यादा आदमियों की बात सोचनी पड़ेगी । मैं यह कहूंगा कि इससे ज्यादा आदमियों को फायदा नहीं होगा बल्कि प्रत्येक आदमी इसका उपयोग कर सकता है क्योंकि हर आदमी के लड़के होते हैं । यदि कोई नाजायज़ फायदा उठाता है तो उसको रोकना पड़ेगा । प्रत्येक आदमी के लड़के होते हैं और उनके नाम से ट्रान्सफर करके फायदा उठाया जा सकता है । मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा आदमी इससे नाजायज़ फायदा उठावेंगे । यदि नाजायज़ फायदा उठाते हैं तो हमें रोकना पड़ेगा । मैं इस बात को माननीय राजस्व मंत्रीजी के ऊपर ही छोड़ता हूं, जिन्होंने यह अमेंडमेंट मूव किया है कि इससे कोई नाजायज़ फायदा नहीं उठाने पावे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, जो अमेंडमेंट मैंने मूव किया उस पर कई प्रकार की बातें कही गई फादरलेस माइनर का क्या किया जाय आदि । जमीन के अलॉटमेंट के संबंध में कहा गया और यह शंका प्रकट की गई कि इस बात का बहुत खतरा है कि घर में मेजर आदमी होते हुए भी किसी माइनर या विडो या और कोई जो डिसएबल्ड की केटेगरी में आता है उसके नाम पर जमीन कर दी जायगी और इस प्रकार सब—लेटिंग को जारी रखने की गुंजायश ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी । मैं बार बार यह बात कह चुका हूँ और फिर कह देना चाहता हूँ कि मैं नहीं समझ सकता कि जो हमारा प्रोफिट का मार्जिन सब लेटिंग के जरिये है, उसको देखते हुए इस प्रकारकी बात होगी । उसको इस प्रकार का बना दिया है कि उसके जरिये कोई इन्सेन्टिव नहीं रहता सिवाय इसके कि एक आदमी को घर का लगान नहीं देना पड़े और थोड़ा सा उसको और मिल सके । इससे ज्यादा गुंजायश नहीं रखी गई है । इसके अलावा सीलिंग के जरिये ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रह सकेगी इन सब बातों को देखते हुऐ आप जैसी कल्पना कर रहे हैं वैसी बातों की गुंजायश नहीं है सब—लेटिंग में प्रोफिटियरिंग की स्थिति रहेगी, मैं यह नहीं मानता । मैं यह भी नही मानता कि आने वाले समय में इससे खतरा है । इसके विपरीत मैं यह कहूंगा कि यदि कोई चीज खतरे की है और उससे सचेत होना है तो सही माने में सबलेट नहीं करके नौकरों में या हालियों में नाम नहीं दर्ज करालें, इस बात का खतरा है, सब-लेटिंग के तौर पर मुझे कोई खतरा नहीं हैं । मैं समझता हुँ कि सब-लेटिंग के जरिये जिसको जमीन दी जायगी वह ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा तो मेहनत का फायदा उसी को मिलेगा । लेकिन खतरा इस चीज का नहीं है, बल्कि खतरा उस अज्ञानता का है जो आज समाज में है । ये सारे प्रोवीजन्स जो हैं वे उन्नति के लिये हैं । उनके होते हुए भी सब लेटिंग के जरिये सब-टिनेन्ट कहलाने के बजाय यदि कोई आदमी नौकर या हाली में अपना नाम लिखाले तो उससे तो इस तरह की लिखा पढ़ी करा ली जाय और वह सब टिनेन्ट होते हुए भी नौकर कहा जाय, इस बात का सबसे ज्यादा खतरा है । सही माने में सब टिनेन्ट समझा जाय बजाय इसके कि हाली या नौकर समझा जाय । यह देखने की बात हैं । मैंने इसके बारे में कल भी अर्ज किया था कि ५ प्रतिशत भी ऐसी कल्पना नहीं करता । जो देश की ट्रेन्ड है उसके अनुसार टिनेन्सी बिल में भी अब तक जो सब टिनेन्ट्स थे उनको

श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

खातेदारी टिनेन्ट बनने का हक दिया है । आज के शिकमी काश्तकार को जिसकी सालाना आमदनी १२०० रु० या जैसा भी सदन तय करेगा उसके अनुसार सब टिनेन्ट या शिकमी काश्तकार को खातेदारी का हक मिलेगा । यह खुद में बहुत बड़ा गेश्चर है कि हम क्या करना चाहते हैं समाज में ? तो कोई आदमी यह नहीं करेगा कि साल भर से ज्यादा सब-लेटिंग करे । वह एक आध साल अथवा हद दो साल के लिए सबलेटिंग करेगा और इस बीच में अपनी व्यवस्था करके खुद खेती करने लगेगा । इससे ज्यादा समाज में यह बात चलेगी, यह मैं नहीं मानता । आप यह चाहते हैं कि इसकी भाषा ऐसी बना दें जैसी किसी भी कानून में नहीं है ! इसमें फादरलेस माइनर्स आदि आदि शब्द लिख दें । यह सब सवाल कहने के तौर पर कि कैसी कैसी गुंजाइश कहां कहां निकल जायगी इन सारी चीजों के बारे में, जोइन्ट फेमिली के बारे में, मेजर घर में होते हुए माइनर के नाम पर कर देंगे; इन सारी बेइमानियों की कल्पना करके एक एक प्रोविजो अगर एड करते जायेंगे तो उसका कोई अन्त नहीं होगा और यह ठीक भी नहीं होगा । हम यह मानकर चलें कि सब लेटिंग करते हैं, ज्यादा करते हैं तो शोषण कितना होता है और यदि होता है तो उसको रोकने के लिये हमें उपाय करना चाहिये और उसको रोकने के लिए हमने काफी बंदिश लगा दी है और हम यदि यह समझते हैं कि शोषण रुक जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमारा पर्पज पूरा हो जाता है । इस पर्पज को पूरा करने के लिये ज्यादा ध्यान दें, बजाय इसके कि एक शब्द इधर जोड़ें और दूसरा इधर जोड़ें; इससे फायदा नहीं होगा ।

मैं यह भी सूचना देना चाहता हूं कि आगे को जमीन के अलॉटमेंट का जहां सवाल है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थान में जो हमने नियम लागू किये हैं, उसके अनुसार जहां पर भी जमीन अवेलेबल है खालसे के इलाके में या अभी जो जागीरें रिज्यूम की हैं उस इलाके में, वहां पर १५ बीघा से ज्यादा जमीन किसी भी आदमी को अलॉट नहीं की जायगी । इसके लिये रूल्स बनाकर सर्कुलेट किये गये कि एक आदमी को १५ बीघा जमीन से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिये और वह भी किसको दी जाय ? सिर्फ लैंडलेस टिलर्स को और उसमें भी यह किया गया है कि पहले वह जमीन उसी गांव के रहने वाले को दी जाय जिस गांव में कि वह जमीन है, यदि गांव के रहने वालों को न दी जाय तो आस पास के गांव में रहने वालों को दी जाय और उसके बाद उसी तहसील के रहने वाले को दी जाय । ये सारे इन्स्ट्रक्शन्स आज नहीं, बल्कि आज से ६ महीने पहले दिये गये हैं और हिदायत कर दी गई है कि इसी के माफिक अलॉटमेंट होना चाहिये । मैं यहां तक अर्ज करना चाहूंगा कि भाखरा के नीचे २-३ लाख एकड़ जमीन गवर्नमेंट के अण्डर में आयगी । इसको आम तौर से ऑक्सन किया जाता है, लेकिन इस जमीन को ऑक्शन करने के लिये हमने रिफ्यूज कर दिया इस-लिए कि ऑक्शन के जरिये कुछ बड़े आदमी ही जमीन ले सकते हैं और वे सिर्फ उससे फायदा उठायेंगे । इसके बजाय हमने वहां पर यह भी रखा है कि उस जमीन को लैंडलेस टिनेन्ट्स को देंगे और उनके सिवाय जो उसके हकदार है उनको दी जायगी । इसके अलावा जागीर रिजम्प्शन के बाद छोटे जागीरदार जो होंगे, जिनके पास जमीन नहीं होगी उनको बसाने के लिये, उनको उस जमीन का कुछ हिस्सा दिया जायगा । इनके सिवाय और किसी को वह जमीन हम नहीं देना चाहते । हमारे

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दिमाग में कभी यह कल्पना नहीं है कि बड़े होल्डिंग्ज़ को बढ़ाया जाय और सब लेटिंग नेसेसरी बढ़ाया जाय, बल्कि चारों तरफ से जो पोलिसी काम में लाई जा रही हैं वह यह है कि बड़े होल्डिंग्ज़ कम हों, कोई आदमी जमीन को सेल नहीं कर सकता, मोर्टगेज़ नहीं कर सकता, सीलिंग के ज़रिये मोजूदा होल्डिंग्ज़ पर कन्ट्रोल करना चाहते हैं तो फिर सब लेटिंग के बारे में, हमारे सामने यह कल्पना करना और यह सोचकर चलना कि इसमें वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हो जायेंगे, कई लोग माइनर्स के नाम कर देंगे, कई जागीरदारों ने विधवाओं के नाम पर जमीनें कर दी है या दूसरों के नाम पर कर दी है।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे खुशी होगी इसके बारे में अगर जागीरदारों ने, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, विधवाओं के नाम जमीनें करके उनकी जीविका-निर्वाह का प्रबन्ध कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी प्रोब्लेम राजस्थान सरकार के सामने है। जागीर रिज़म्प्शन के बाद में यह एक बहुत बड़ी प्रोब्लेम है। अगर जागीरदारों ने उन विधवाओं के नामे जमीनें कर दी हैं और उन्हें सब-लेटिंग करने देते हैं तो मैं समझता हूं कि समाज की एक बहुत बड़ी प्रोब्लेम हल हो सकती है। एक विधवा है उसको उसके रिश्तेदार सपोर्ट कर देंगे, इस कल्पना पर हमें नहीं चलना चाहिये। जो समाज में चल सकें, जो समाज की नींव को ठीक कर सकें और उनके जरिये शोषण नहीं होता हो, ऐसे नियम बनाने चाहिये।

सब-लेटिंग से अगर हमने मुनाफा लगाया हो और अगर हमने यह कहा हो कि इससे शोषण किया जाय तब तो इसका विरोध किया जा सकता है, पर हमने तो यह कहा है कि डबल रेंट से ज्यादा नहीं ले सकते, जो गवर्नमेंट एक एरिया डिक्लेअर करे कि कितने मल्टीपल एक खातेदार टिनेन्ट एक सब टिनेन्ट से ले सकता है तो फिर इसमें विरोध की कोई गुंजायश ही नहीं है। अगर कोई इन क्लॉजेज़ में ऐसी गुंजायश हो गई कि गलत नाम से दर्ज करा ले तो भी इससे फायदा क्या होने वाला है? फायदा तो तभी होगा कि खुद हल ले कर जोतेगा, पर्सनल सुपरविजन में पर्सनल कल्टीवेशन करायेगा।

तो ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करूंगा कि बिना किसी आशंका के यह जो क्लॉज़ आपके सामने रखा गया है इसे स्वीकार करें और फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन में बाधाएं आती हैं, तो सरकार के सामने एक साफ नीति है कि किस तरह का समाज का ढांचा बनाना चाहती है?

इतना ही कह कर मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये सदन से निवेदन करूंगा कि जो क्लॉज़ सब्स्टीट्यूट करने के लिये पेश है उसे स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—इस क्लॉज़ पर कई संशोधन पहले प्रस्तुत हो चुके हैं, अब जो यह संशोधन आया है उसे सारे क्लॉज़ के बजाय दूसरा क्लॉज़ करने का है, तो ऐसी सूरत में दूसरे संशोधन जो पहले प्रस्तुत किये जा चुके हैं उन पर सम्मति लेने की आवश्यकता रहेगी या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आवश्यकता रहेगी, जब तक कि विद्ड्रॉ नहीं कर लें।

श्री मथुरादास माथुर—मैं अपनी तरमीम वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर—मैं अपनी तरमीम वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री मोतीलाल।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे इसमें दो संशोधन थे, पहला तो.......

श्री उपाध्यक्ष—आपका पहला ही संशोधन मूव किया हुआ है। पिछला तो बात-चीत में ही रहा, मूव नहीं हुआ।

श्री मोतीलाल चौधरी—मेरे दो अमेंडमेंट हैं एक तो १२५ नं० का और दूसरा ३४१ नं० का।

श्री उपाध्यक्ष—उनको विद्ड्रॉ कर लीजिये।

श्री मोतीलाल चौधरी—दो शब्द कहने के बाद मैं विद्ड्रा करूंगा। मेरा राइट ऑफ रिप्लाई भी तो है।

श्री उपाध्यक्ष—क्यों सदन का समय लेते हैं? जो मिनिस्टर की ओर से रिप्लाई दिया गया है उसमें अगर कोई नई बात कहनी हो तो राइट ऑफ रिप्लाई रहता है। राइट ऑफ रिप्लाई का मतलब यह होता है कि कोई नई बात सामने लाई गई हो तो उसको एक्सप्लेन करें, वरना एक दफा तो शुरू में बहस की और फिर उन्हीं बातों को दोहरा कर बहस करना, इसकी कई दफा हम इजाजत दे देते हैं; पर वह तरीका सही नहीं है। जो राइट ऑफ रिप्लाई का मतलब समझ रखा है वह गलत है।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैंने १२५ नं० के अमेंडमेंट में यह रखा था कि·······

श्री उपाध्यक्ष—आप सार की बात कहिये।

Page No.59

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं सार बात ही कहता हूं। हां, तो मेरे इस अमेंडमेंट में मैंने यह रखा है कि इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद इस क्लॉज़ में बताये हुए व्यक्तियों को कोई नई जमीन का एलॉटमेंट नहीं किया जाना चाहिये।

अब एलॉटमेंट आवेदन से कर रहे हैं, इससे संतुष्ट होकर मैं अपने इस अमेंडमेंट को विद्ड्रा करने की अनुमति चाहता हूं।

मेरा ३४१ नम्बर का अमेंडमेंट है फादर-लैस स्टूडेन्ट्स के बारे में। जो मन्त्रीजी ने फरमाया है उसके बारे में मुझे भ्रम है। मैंने कोशिश की, पर समझ नहीं पाये; कहते हैं कि इसके बारे में उल्टा रास्ता हो सकता है। मैं इसको विद्ड्रा करता हूं।

तीसरा मेरा संशोधन······

श्री उपाध्यक्ष—वह संशोधन के रूप में नहीं आया, बात-चीत के तौर में आया है। प्रश्न यह है कि श्री मोतीलाल चौधरी ने जो दो संशोधन पेश किये थे उनको वे वापिस लेना चाहते हैं। क्या सदन की अनुमति है?

('नो नो' की आवाज)

आप क्या वोटिंग चाहते हैं?

एक माननीय सदस्य—वे खुद तो नहीं चाहते।

(सदन में कई सदस्यों की आवाज "अच्छा साहब इजाजत दे दी जाय")

श्री उपाध्यक्ष—क्या हाउस इजाजत देता है?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं बडी खुशी से अपने अमेंडमेंट विद्ड्रा करता हूँ। (हंसी)

श्री जवान सिंह—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई

श्री जवानसिंह—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री चांदमल मेहता—जो नया अमेंडमेंट आया है उससे मेरे अमेंडमेंट का मतलब पूरा हो जाता है, अतः मैं भी अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री मेहता को इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री चान्दमल मेहता—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री एच. के. व्यास का संशोधन स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

श्री गोपीलाल यादव।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री गोपीलाल यादव का संशोधन स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

श्री वेदपाल त्यागी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री वेदपाल त्यागी का संशोधन स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मोहनलाल सुखाडिया ने गवर्नमेंट बेंचेज़ की तरफ से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान क्लॉज़ ३७ के बजाय नया क्लॉज़ सब्सटीट्यूट किया जाय, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ और यह सब्सटीट्यूटेड क्लॉज़ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं, माननीय उपाध्यक्ष, अपना संशोधन भी वापिस ले लूं।

(अनौपचारिक चर्चाएं)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, इसके बाद क्लॉज़ ३६ पेंडिंग है। मैं इसको अभी भी पेंडिंग रखने के लिये निवेदन करूंगा, क्योंकि इसमें जरूरी लीगल ओपीनियन अभी आ रही है। इसके लिये मैं कुछ समय और चाहूंगा। इस सदन के सदस्यों को याद होगा कि ३८ ए,....।

खण्ड ४४

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ४४.

एक माननीय सदस्य—इसको सक्यूंलेट नहीं किया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सदन में चर्चा हो रही है कि खातेदार को सब-लेट करने का हक नहीं हो। । इस तरह से एबन्डन करने के लिये काफी डिस्कशन किया गया और अब मैं यह चाहता हूं कि उसको यू० पी० टीनेन्सी बिल......

श्री उपाध्यक्ष—अभी उस पर एमेंडमेंट आने पर......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इस पर शक करता हूं। मैं समझता हूं कि वह इस प्रकार सबस्टीट्यूट कर दिया जावे तो सारा मतलब पूरा हो जावेगा। वह इस प्रकार है :

"For clause 44, substitute the following :—

'44. Abandn-ment--(1) Subject to the provisions of sub-sections (2) and (3), a tenant who ceases to cultivate and leaves the neighbaurhood shall not lose his interest in his holding if he leaves in charge thereof a person responsible for payment of the rent as it falls due and gives written notice to the landholder of such arrangement.

(2) If the person so left in charge is a person--

(a) on whom, in the event of the tenant's death, the tenant's interest would devolve, or

(b) who is to manage the holding for the benefit of the person on whom, in the event of the tenant's death, the tenant's interest would devolve,

the tenant shall, on the expiry of the period of five years, lose his interest in his holding unless he within such period resumes cultivation thereof, and such interest shall devolve on the person on whom the tenant's interest would devolve in the event of his death.

(3) If the person so left in charge is not a person mentioned in sub-section (2), the tenant shall, on the expiry of the period for which he could have sub-let, be presumed to have abandoned his holding unless within such period he resumes cultivation thereof.

(4) A tenant who ceases to cultivate and leaves the neighbourhood otherwise than in accordance with the provisions of sub-section (1) shall be presumed to have abandoned his holding."

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आपने जो पढ़ दिया है हमारे समझ में नहीं आया। इसलिये इसकी कम से कम एक कॉपी तो हमको दी जावे। आपके पढ़ने से यह समझ में नहीं आ सकता है।

श्री मथुरादास माथुर—सर्क्यूलेट होना चाहिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—अगर इसमें कोई बात ऐसी हो तो अपने विचार तो व्यक्त कर सकते हैं। आप लोगों ने हमारी बातों को वहां नहीं माना था इसलिए मजबूर होकर हमें एग्रीड होना पड़ा। कल भी यही डिसाइड किया गया है। मैं उसका घोर विरोध कर रहा था, इसलिये मैं अब भी यहां घोर विरोध करना चाहूंगा। अगर आप मुझे इसकी कॉपी नहीं देंगे तो मैं इसका विरोध कैसे कर सकूंगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—कल भी आप इसका घोर विरोध कर रहे थे और अब भी इसका विरोध करना चाहते हैं। जो व्यक्ति घोर विरोध कर रहा था उसको यह बात तो मालूम होनी चाहिये कि जिस चीज का वह विरोध कर रहा था वह चीज क्या है?

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, यह पहले सर्क्युलेट होना चाहिये। उसके बाद इस पर बहस होनी चाहिये।

(अनौपचारिक चर्चाएं)

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, वे सदस्य जो इसकी एक कॉपी चाहते हैं सिलेक्ट कमेटी के सदस्य थे और जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से देख कर पास किया है। जब उन्होंने उसको उचित माना तभी तो उसको पास किया। लेकिन अब उसका घोर विरोध करने का प्रश्न उनके सामने प्रस्तुत हो गया है। मैं यह कहूंगा कि कुछ सदस्य जो इस कमेटी में बुलाये गये थे उन्होंने मिल कर यह तय किया है और सब उस पर एग्री हो गये। जब सब लोग एग्री हो गये तो उसके बाद उनको मानना चाहिये। केवल बहस करने के लिये ही बहस नहीं करनी चाहिये। उचित तो यह होगा कि इसको बहस के लिये ही आगे नहीं बढ़ाया जावे क्योंकि यह क्लॉज़ कमेटी के द्वारा छन कर आया है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि उसको फिर एक-दो बार सर्क्युलेट किया जावे और उसके बाद इस पर बहस की जावे। मेरा विश्वास है कि जो महानुभाव आज इसका घोर विरोध करने की बात कह रहे हैं दो दिन बाद इसको ठीक रूप में मंजूर करेंगे। इसलिये बहतर यही होगा कि इस क्लॉज़ को पास किया जावे।

श्री कपिलदेव—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने जो अपनी राय जाहिर की है.....

श्री जवानसिंह—इस तरह सवाल-जवाबों में समय दिया जाना माननीय उपाध्यक्ष ठीक नहीं होगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—जो राय जाहिर की है उसके लिये मैं उनका शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करता हूं और यह कहना जरूरी समझता हूं कि आज उन्होंने जिस सद्-भावना

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

का परिचय देते हुए यह बात कही है, समय नष्ट नहीं किया जावे, वही बात हम उनसे दो महीनों से लगातार कह रहे थे और बराबर यह कहते आ रहे हैं कि जो कुछ बहस कर रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं, फिर भी बहस घन्टे आध घन्टे करते ही हैं।

(घंटी)

इस वक्त मैं इतना जरूर कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी से जो क्लॉज़ पास होकर आया है उसमें और इसमें बहुत फर्क है और यह आप सही फरमाते हैं कि हमने सिलेक्ट कमेटी में इस पर बहुत सोचा और सोच कर क्लॉज़ बनाया था, लेकिन आज जो क्लॉज़ माननीय मंत्री पेश करना चाहते हैं वह उस सिलेक्ट कमेटी के क्लॉज़ से बहुत कुछ खिलाफ है। इसलिये सिलेक्ट कमेटी के सदस्य होने के नाते मेरा कर्तव्य हो जाता है कि वेल कन्सीडर्ड ओपीनियन को डिफेन्ड करूं और कहूं कि इसमें और उसमें कितना फर्क है। इसलिये मैं समझता हूं कि अब माननीय सदस्य इस बात को महसूस कर चुके होंगे कि इस पर बहस करना जरूरी है।

श्री जवानसिंह—केवल शान्ति से खड़ा होना तो घोर विरोध करना नहीं कहा जा सकता।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—डिप्टी स्पीकर साहब बात कर रहे हैं। ध्यान तो उनका आकृष्ट करना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, 'Abondoned' का मतलब, जहां तक मैं समझता हूँ, Abondonement' का सिद्धान्त यह है कि अगर कोई काश्तकार काश्त न करे और जमीन छोड़ कर चला जाय और उसके साथ साथ ही काश्तबन्दी न करके गांव छोड़ कर भी चला जाय तो वह एबेन्डनमेन्ट कहलाता है। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि वह काश्तकार जो जमीन छोड़ कर चला जाता है उसके साथ वह रियायत हमको करनी चाहिए या नहीं? आगे के क्लॉजेज़ को अगर, माननीय उपाध्यक्षजी, आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई इमरजेन्सी की वजह से कोई काश्तकार चला जाता है, जैसे फैमीन या और कोई अनयुजुअल केलेमिटी आ जाय और उसकी वजह से काश्तकार चला जाय, बावजूद इसके कि वह जमीन एबन्डन्ड मान ली जाती है तो वह उसको वापिस दे दी जाती है। लेकिन इस क्लॉज़ में यह कहा गया है कि अगर कोई शख्स पेमेन्ट ऑफ रेन्ट का इन्तजाम करके चला जाय तो एबन्डेन्मेन्ट नहीं मानना चाहिए। एक तरफ कानून बना रहे हैं कि सब टिनेन्ट पांच साल से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, डिस्करेज, होना चाहिए और दूसरी तरफ ऐसा भी कानून बना रहे हैं कि अगर एक काश्तकार जो खुद जमीन काश्त नहीं करता है उसके लिए इतना ही आवश्यक है कि लेन्ड होल्डर को यह नोटिस दे कर चला जाय कि फलां आदमी रेन्ट देता रहेगा और मैं चला जाता हूं। वास्तव में हम इस क्लॉज़ से यह कर रहे हैं कि जिस सबटिनेन्सी को बन्द करना चाहते हैं उसके लिए एक किस्म से रास्ता बता देते हैं कि वह अपनी सब टिनेन्सी को कायम कर सकता है,

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

बल्कि यही नहीं जो पीरियड पांच साल का रखा है अगर उसमें वह आ सकता है और कह सकता है कि मैं आ गया हूँ और अपनी जमीन सम्हालने के लिए तैयार हूँ और उसके बाद भी जैसी कि कानून इजाजत देता है वह पांच साल के लिए सब-टिनेन्ट फिर कायम हो सकता है, तो इसका मतलब यह होगा कि इस तरह से हम पांच साल के लिए और सब टिनेन्सी की इजाजत देते हैं । लेकिन इस एमेन्डमेन्ट के प्रोविजन के मुताबिक हम यह इजाजत देते हैं दस साल तक । वह चाहे तो यहां रहे या नहीं । वह पांच साल के बाद भी नोटिस दे सकता हैं । तो इस तरह से यह साइकिल कन्टीन्यु की जा सकती है, अगर कोई चालाकी से इस तरह की कार्यवाही करना चाहे तो । इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स जमीन छोड़ कर चला जाता है, चाहे वह कोई इन्तजाम नहीं करे, उसके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बोनाफाइड टिनेन्ट्स को प्रोटेक्शन देते हैं । अगर कोई बोनाफाइडी रीज़न्स की वजह से छोड़ कर चला जाता है तो आगे के क्लाज़ेज़ में उसको काफी प्रोटेक्शन मिलता है । इसलिए ऐसे शख्स जो कि गांव छोड़कर चले जाते है, जमीन छोड़कर चले जाते हैं उनको एमेन्डमेन्ट नहीं मिलना चाहिए । मैं इसका विरोध करता हूं । अगर कोई काश्तकार गांव छोड़कर चला जाता है, यहां तक कि नेबरहूड भी छोड़ चुका है, वह जमीन छोड़ चुका है, तो उसको रियायत नहीं मिलनी चाहिए । यह सुझाव मैं माननीय मन्त्री महोदय को देना चाहता हूं । वह तरमीम इस प्रकार से है :

"Subject to the provision of sub section (2) and (3) a tenant who ceases to cultivate and leaves the neighbourhood shall not lose his interest in the holding if he leaves incharge thereof a person responsible for payment of rent as it falls due and gives written norice to the londholder of such arrangement."

अतः इसको अमेंड कर दिया जाय । इसके बाद सब क्लॉज़ (२) जो है वह अपने आप बेकार हो जाता है । "If the person so left incharge of..." की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और 'परसन सो लेफ्ट इन्चार्ज' का प्रश्न ही नहीं रहेगा ।

दूसरे शब्दों में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्यों इसकी जरूरत नहीं ? अगर कोई टिनेन्ट जाना चाहता है किसी रीज़न की वजह से, तो उसके लिए पर्सनल कल्टीवेशन की परिभाषा इतनी लम्बी-चौडी है कि वह एबन्डन करके भी परदेश जाना चाहता है तो इन्तजाम कर सकता है लगान का और काश्त किसी एजेन्ट के मार्फत, किसी नौकर के मार्फत कराना चाहे तो वह पर्सनल कल्टीवेशन की तारीफ में आ सकता हैं, फिर ऐसी सूरत में पर्सनल कल्टीवेशन की लम्बी चौडी परिभाषा को देखते हुए वह दूसरों से कल्टीवेशन करा सकता है । फिर यहां इस चीज को रखने से किसान को क्या फायदा होने वाला है, मेरी समझ में नहीं आता है । इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि इसमें से इतना पोर्शन ओमिट कर दिया जाय और बाकी का पास कर दिया जाय ।

('कितना पोर्शन ?' ऐसी आवाज)

श्री मथुरादास माथुर—जो तरमीम माननीय राजस्व मन्त्री ने रखी है उसके समर्थन में मुझे दो-चार शब्द कहने हैं। श्री कपिलदेवजी ने जो अभी सुझाव रखा है उससे ऐसी कई परिस्थितियां बाकी रह जायेंगी कि जिनका हम हल नहीं निकाल पायेंगे। कोई खातेदार या कोई टिनेन्ट अगर गांव छोड़कर चला जाता है और उसका यह इरादा होता है कि मैं कुछ अर्से के बाद वापिस लौट आऊंगा, अगर वह वापिस लौट कर न आवे और गांव को भी छोड़ दे, अपनी फेमिली को भी वहां ले जाय तो वह एबन्डन्मेन्ट की तारीफ में चला जाता है। लेकिन कोई यह कहे कि परदेश चला जाता हूं या किन्हीं परिस्थियों से, चाहे घरेलू परिस्थिति किसान की हो, चाहे सामाजिक हो या राजनैतिक हो, और गांव छोड़कर उसे चला जाना पड़ता है और उसके बादमें नोटिस देता है लेन्ड लोर्ड को कि मेरे बजाय आपको फलां आदमी रेन्ट अदा करता रहेगा तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जिसके नाम उसने नोटिस दिया हैं कि फलां आदमी आपको रेन्ट देता रहेगा। वह आदमी, जैसा कि उन्होंने बताया कि मैनेजर एपोइन्ट कर सकता है। खुदकाश्त के अन्दर कर सकता है। मैनेजर खुदकाश्त के लिए उस ज़मीन को कमाये तब हो सकता है। हम यह कहते हैं कि आप जिस आदमी के लिए कहते हैं, चाहे किसी एक्स के लिए कहते हैं कि मेरा वह रेन्ट चुका देगा और अगर उसके नाम से लेन्ड होल्डर का रेन्ट चुकाता रहता है, यह दूसरी बात है कि वह अदा करे या न करे, यदि अदा नहीं करता है, दो साल के लिए अदा नहीं करता है और फिर कर दे, तो उसको पूरी आजादी है। किन्तु मैनेजर के माने यह होते हैं कि वह उसकी एस्टेट को मैनेज करेगा और वह उसका सर्वेन्ट होगा। मैनेजर जब इन्तजाम करेगा तो फिर एबन्डन्मेन्ट नहीं होगा क्योंकि वह भोलाये (सम्हलाये) हुए की हालत में, नौकर की हैसियत से काम करता है। यह परिस्थिति दूसरी है। किन्तु यहां तो आशियाना उठा लिया और परदेश चला जाता है और नोटिस दे देता है कि लेन्ड लोर्ड को किराया फलां आदमी चुकाता रहेगा जिसका लेने का कि वह हकदार है। यहां भेजें या न भेजें इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैनेजर को तो उसकी एस्टेट को मैनेज करना पडता है। तो मैं नहीं समझता कि उसके राइट्स क्यों हट जाने चाहिए, किन्तु उसके राइट्स तो कायम रहने चाहिए। वह दो साल के लिए, तीन साल के लिए चला जाता है और कहता है कि मेरा किराया फलां फलां आदमी चुकाता रहेगा, हां, लेन्ड लोर्ड वसूल न करे यह व्यक्तिगत सवाल है, उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः यहां यह रखना जरूरी है। नोटिस देकर आदमी चला जाता है और पीछे से वह आदमी जिसको कि वह सम्हला जाता है, बराबर किराया चुकाता रहता है, पूरी जमीन में काश्त करता है, आधी में काश्त करता है वह टिनेन्ट नोमीनी है। ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूँ कि यदि कोई एक साल भर के लिये या दो साल के लिये बाहर चला जाता है और पीछे अपनी जमीन का लगान आदि चुकाने के लिये किसी आदमी को नोमीनेट करके जाता है तो हमें इसमें किसी प्रकार का हर्जा नहीं होना चाहिये। मान लीजिये एक लेन्ड लोर्ड, घर में उसका बच्चा तपेदिक की बीमारी से पीड़ित है और वह अपनी फेमिली को लेकर बाहर चला जाता है उसके इलाज के लिये और उसके इलाज में एक साल, दो साल, तीन साल लग जाते हैं क्योंकि यह रोग ही ऐसा है, तो हमने जो सब-लेटिंग का पीरियड मेग्ज़ीमम ५ साल रखा है तो पांच साल तक उसको सब लेटिंग करने का अधिकार दिया है, अतः वह कहीं भी रह सकता है:

Page No.67

[श्री मथुरादास माथुर]

है, वह पांच साल तक दूसरों को सबलेट कर सकता है। पांच वर्ष की जो मियाद रख रहे हैं वह कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिविलेज़ नहीं है। इसलिए अगर पांच साल तक लौटकर नहीं आये और किसी को सम्हला कर चला जाय और वापिस लौटे नहीं तो इसके लिये कुछ लिमिटेशन होनी चाहिये। हमने पांच साल के लिये सब लेटिंग को अलाउ रखा है। उसमें यह फायदा है कि वह पांच साल तक लौटकर आकर भी फिर अपनी जमीन में काश्त कर सकता है, उसको फिर काश्त करने के राइट्स मिल जाने चाहिये। जब तक अनसरटेन सिच्युएशन रहेगी, इसलिये पांच साल तक का जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह रीज़नेबल अमेंडमेंट है। कपिलदेवजी ने जो कहा कि जो छोड़कर चला गया सो गया, an abandment is abandment for ever, यह ठीक नहीं है। इसलिये इन लब्ज़ों के साथ में इस तरमीम को सपोर्ट करता हूं और आशा करता हूं कि कपिलदेवजी ने जो कुछ कहा है उसे वे विद्ड्रॉ कर लेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो क्लॉज़ ४४ हमारे मौजूदा टिनेन्सी एक्ट में है, जो सिलेक्ट कमेटी ने एप्रूव करके पेश किया है उसको रखने के बजाय माननीय राजस्व मंत्री ने जो संशोधन पेश किया है इस सदन के सामने अगर हम उस तरमीम को और मौजूदा एक्ट के क्लॉज़ ४४ को, जो कि सिलेक्ट कमेटी से पास होकर आया है, इन दोनों क्लॉजेज़ का मुकाबला करें तो हमें पता चलेगा कि इस क्लॉज़ के सब्स्टेन्स में कोई विशेष अन्तर नही पड़ता, सिवाय एक माइनर चेन्ज के। सिलेक्ट कमेटी ने यह क्लॉज़ जिस रूप में पास किया था उसके सब क्लॉज़ (३) के (बी) में जो पीरियड सात साल का था अब उसको मौजूदा तरमीम द्वारा सात साल के बजाय पांच साल का पीरियड किया है। इसके अलावा इन दोनों क्लॉजेज़ का मुकाबला करने से पता लगता है कि अरेन्जमेन्ट के जो क्लॉजेज़ जिस प्रकार से पहले थे उसमें थोड़ा सा रद्दोबदल किया गया है। जो रद्दोबदल किया हैं वह सिर्फ इस तरीके से किया है कि इस तरीके को रखने में हमको एक बेसिस मिलता है जो यू. पी. टिनेन्सी एक्ट की इसी प्रकार की धारा में मौजूद है। इसमें मौजूदा शब्दों का अरेन्जमेंट जो संशोधन के रूप में रखा गया वह ज्यादा रहा है उसके लिए ऑलरेडी बेसिस दूसरे टिनेन्सी एक्ट में मौजूद हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बहस इस सम्बन्ध में इस सदन में की उसमें उन्होंने अपना घोर विरोध इस क्लॉज से बताया है, उन्होंने इसकी बेसिस और बुनियाद यह कही है कि इस तरह की कोई फेसीलिटी किसान को नहीं मिलनी चाहिये। अगर वह अपनी जमीन को छोड़कर चला जाता है तो हमको मान लेना चाहिये कि वह अपनी जमीन पर वापिस नहीं आयगा इसलिए अमेंन्डेड क्लॉज में जिस रूप में संशोधन आया है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिये, यह उनके विचार हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं उदाहरण के तौर पर उन्हें बताना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रान्त के टिनेन्सी लॉज़ को उठाकर देखिये; उन सब में यह क्लॉज़ मिलेगा इसलिए भी हमारे इस एक्ट में रखना लाजिमी है। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने

[श्री नाथूराम मिर्धा]

बताया कि एक किसान को न मालूम किस समय कैसी मुसीबत आ सकती है, जिस वक्त में उसको अपनी सारी फेमिली को लेकर बाहर जाना पड़े; उन्होंने उदाहरण यह दिया कि एक किसान के एक ही लड़का है और वह टी. बी. से बीमार है, और वह उसके इकलौता पुत्र है। अगर वह इलाज के लिए नहीं जाता है तो वह अपने पुत्र को खोता है, तो उसको अपने पुत्र को बचाने के लिए उसके इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। यह तो एक उदाहरण उन्होंने दिया, आम तौर से ऐसी परिस्थितियां अनेक किसान के लिए आ सकती हैं जिनमें उसको पर्मानेन्टली कुछ अर्से के लिए अपने खानदान को बाहर ले जाना पड़ता हैं। कोई सामाजिक परिस्थिति हो, राजनैतिक या आर्थिक परिस्थिति हो, उसमें उसको बाहर जाना पड़ता है तो ऐसी सूरत में वह चाहता है कि उसकी वह जमीन उसको वापिस लौटने के बाद मिले। वह सबटिनेन्सी को पसन्द नहीं करता है तो वह क्या करता है कि एक उसका कोई रिश्तेदार है जो इस क्लॉज़ के सब क्लॉज (२) (ए) व (२) (बी) के अनुसार जो व्यक्ति जिसको वह जमीन छोड़कर जायगा उसको भी हमने एक तरह से स्पेसिफाइ कर दिया है वही आदमी होगा। जो किसान जिसको वह जमीन सौंप कर जायगा वह जमीन के सारे इन्ट्रेस्ट उस आदमी में डिवोल्व होंगे। वह संबन्धी है, जिसका जमीन पर कब्जा रहने पर भी वह किसान सोचेगा कि सबलेटिंग करूंगा तो मेरे आने के बाद में मुझे वह जमीन छुड़ाने में कई प्रकार की लिखा-पढ़ी करनी पड़ेगी, कई प्रकार की डिफीकल्टी पेश आ सकती है; इसलिए इस अरेन्जमेन्ट को सिम्पिलफाइ करने के लिए वह अपनी जमीन को अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार को देकर चला जाता है; यह ख्याल रखते हुए कि इसके पास जमीन नहीं है, इसको जमीन सौंप दूंगा तो यह भी अपना पेट भर सकेगा और वह अपने इमरजेन्सी के लिए चला जाता है। ऐसी जो सहूलियत इस क्लॉज़ के जरिये हम किसान को देना चाहते हैं वह जरूर देनी चाहिये। यह दूसरे टिनेन्सी एक्ट में इस प्रकार किया गया है। ऐसी सूरत में जो किसान अपनी जमीन को अपने रिश्तेदार को सौंप कर चला जाता है और यह कह कर चला जाता है कि इसका लगान लगातार वह अदा करता रहेगा, ऐसा अरेन्जमेंट करके वह कुछ काल के लिए चला जाता है तो उसके वापिस आने पर वह राइट अवश्य रहने चाहिये। पांच साल तक अपनी होल्डिंग से वह गैर हाजिर रहे तो उस किसान को वापिस जमीन देने के लिए कोई विरोध नहीं होना चाहिये। हमने इसके लिए पांच साल की जो लिमिट रखी है वह न्यायोचित है। हां, अगर वह पांच साल में नहीं लौटता है तो जिस आदमी को वह जमीन सौंपकर चला जाता है, जो लगान बराबर देता जाता है, अगर वह किसान पांच साल तक नहीं लौटता है तो यह मान लिया जायगा कि उसने अपने लिए वहां कोई इन्तजाम कर लिया है और जिसको वह जमीन सौंपकर चला जाता है वह उसका मलिक बन जायगा।

यह सारी व्यवस्था इस क्लॉज़ के जरिये हमने की है और उनमें शब्दों का जो रद्दोबदल और क्लॉज़ का जो अरेन्जमेंट किया है वह इस वजह से किया है कि जो सिलेक्ट कमेटी के सामने बात थी वहां एक नया क्लॉज़ ऊपर-नीचे लिखा हुआ था उसको सिम्प्लीफाई करने के लिए और उसके पीछे सेंक्टिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो पुरानी लीजें हैं उन सारी बातों को ध्यान में रखते

[श्री नाथूराम मिर्धा]

हुए इसको नये संशोधन के रूप में पेश किया है और यह पांच साल का पीरियड इसलिए रखा है, सात साल के बजाय, कि इसके लिए कोई बेसिस नहीं था हमारे पास क्योंकि जब सीर का पीरियड भी हमने पांच साल का रखा है तो इसमें भी पांच साल करना ज़रूरी समझा गया। क्योंकि अगर कोई इमर्जेन्सी के लिए किसी को सबलेट करने का इरादा करता है और किसी इमर्जेन्सी के लिए वह अपनी जमीन छोड़कर गया है तो वह पांच साल तक इमर्जेन्सी नहीं रह सकती और अगर रह सकती है तो इससे अधिक की तो रहने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती और वास्तव में अगर इन पांच सालों के बाद अपनी जमीन पर कब्जा करने का उसका इरादा है तो वह पांच साल तक वापिस लौट कर आ सकता है, इसलिए यह पीरियड सात साल का न रखते हुए पांच साल भी रीजनेबल समझा गया। ऐसी सूरत में जो कुछ रद्दोबदल करके नई शक्ल में राजस्व मन्त्री महोदय ने इसे रखा है वह बहुत जरूरी है और वह ठीक रखा है और नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने जो दलील दी है कि यह प्रिज्यूम किया जाना चाहिये कि वह जमीन का मालिक नहीं है या नहीं रहना चाहता वह। एक समय छोड़कर चला जावे उस वक्त मान लिया जाना चाहिये कि वह मालिक नहीं रहना चाहता, पर मेरे खयाल से उनका इरादा नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने जो बातें कहीं, उसमें जो कुछ दलील दी उनकी वह दलील यदि समझ में नहीं आई तो यह........

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह समझ का फर्क है।

श्री नाथूराम मिर्धा—(जारी रखते हुए) बात अलग है, पर जो इरादा जाहिर किया गया वह ऐसा इरादा नहीं है। मेरे खयाल से इस क्लॉज के जरिए किसान को एक सहूलियत मिलती है। वह जरूर कायम रहनी चाहिये और इस क्लॉज का जो सदस्यगण विरोध करते हैं उस विरोध को उन्हें उसे पास करने के रूप में परिणत कर देना चाहिये, ऐसा मेरा मानना है।

श्री उपाध्यक्ष—और इसमें मत विभाजन की आवश्यकता है क्या ?

एक **माननीय सदस्य**—हां साहब, यह तो बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, जो संशोधित क्लॉज़ ४४ इस वक्त सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है और जिसे माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो उस संशोधित क्लॉज के मुतल्लिक कहा गया है......

श्री उपाध्यक्ष—मुख्तसर, संक्षेप में ही कहियेगा।

श्री श्यामलाल गोयल—बहुत संक्षेप में कहूंगा, साहब। नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा यह कहा गया है कि इस क्लॉज़ में जो प्रोविजन किया गया है कि अगर एक

[श्री श्यामलाल गोयल]

शख्स जो अपनी होल्डिंग को एबन्डन करे और उसे चार्ज में वह किसी शख्स के छोड़ जावे, जो रेन्ट के पेमेंट की जिम्मेदारी ले ले और वह लैण्ड होल्डर को नोटिस दे जावे, तो अगर ऐसा प्रोविजन रख दिया गया तो इसका नतीजा यह होगा कि कोई भी होल्डिंग एबन्डन नहीं माना जावेगा। इसके मुतल्लिक मेरा अर्ज करना यह है कि हमें किसी भी क्लॉज़ को देखने से पहले उस तमाम स्कीम को देखना चाहिये जिसके आधार पर यह एक्ट बनाया गया है।

हमें यह भी साथ में देखना चाहिए कि हम आगे और पीछे क्या क्या क्लॉज़ेज़ पास कर चुके हैं। अगर हम उन तमाम बातों को देख कर इस संशोधित क्लॉज़ ४४ को देखें तो यह मानना पड़ेगा कि क्लॉज़ ४४ जो इस वक्त माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं हो सकता।

हमने खातेदार टिनेन्ट को अख्तियार दिये है सब लीज़ के। अगर एक शख्स अपनी जमीन को छोड़ कर जाता है तो उसे यह अख्तियार तो है ही, क्लॉज़ ३६ के माफिक कि वह पांच साल के लिये उस जमीन को सबलेट कर दे। अगर यह सही है कि वह अपनी जमीन को पांच साल के लिये सबलेट कर सकता है, और यह क्लॉज़ ४४ प्रस्तुत किया गया है उसमें भी सिर्फ पांच साल का टाइम दिया गया है कि वह पांच साल तक वापिस आ जावे। नहीं तो उसे एबन्डन समझ लिया जावेगा। तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को क्यों एतराज होना चाहिए ?

इस संशोधित क्लॉज़ में यह प्रोविजन किया गया है कि जो टिनेन्ट उस जमीन को एबन्डन करे वह अपने लैण्ड होल्डर को इसकी इत्तला दे कि मैं फलां आदमी के चार्ज में छोड़ कर जा रहा हूँ। यह जो प्रोविजन किया गया है यह निहायत जरूरी है। इससे मालूम पड़ जावेगा कि जो शख्स जा रहा है वह कैसे छोड़ कर जा रहा है ? Whether he is abondoning altogether या वह किसी आदमी के चार्ज में छोड़कर जा रहा है, मजबूरी की हालत से या और किसी कारण से।

साथ ही साथ इस क्लॉज़ में और भी प्रोविजन किया गया है और उसके लिए मैं अर्ज करता हूँ, जो यह है कि अगर जिस शख्स के चार्ज में वह जमीन छोड़ी जा रही है, जो ऐसा शख्स है कि वह टिनेन्ट अगर बाई चान्स मर जावे तो उसके मरने पर उस टिनेन्ट के इन्ट्रेस्ट डिज़ोल्व होते हैं तो वह जिसके चार्ज में छोड़ी गई है वही उसका मालिक हो जावेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो गैरवाजिब हो। यह नेचुरल है।

[श्री श्यामलाल गोयल]

एक आदमी को सरेन्डर का अख्तियार हैं और हमने जो और क्लॉज़ेज़ पास किये हैं उनके माफिक पर्सनल लॉ के एप्लीकेबल कर दिया है। इसके माफिक हर शख्स को अपनी जमीन को सरेन्डर रिवर्शनर को रिवर्शन करने का अख्तियार दिया है। इसका मतलब यह माना जा सकता है कि पांच साल तक अगर वह नहीं आया तो नेक्स्ट रिवर्शनर मालिक हो गया इसके होने में हमें एतराज नहीं होना चाहिये। तो यह जो क्लॉज़ है उसमें in particular cases के लिए प्रोविजन जरूरी था। हर शख्स जो किसी भी वजह से अपनी जमीन को छोड़ कर चला जावे तो उसके लिए यह मान लिया जावे कि वह एबन्डन कर गया है तो आइन्दा अगर वह लौटकर आवे तो उसको वह जमीन मिलनी मुश्किल हो जावेगी। इस क्लॉज़ में उन शख्सों को जो किन्हीं खास कारणों से अपनी जमीन को छोड़ने पर बाध्य होते हैं, जैसे कि अक्सर अकाल पड़ जाते हैं या और कुछ हो जाता है तो उसके पास जो जमीन है उसको किसी दूसरे के चार्ज में छोड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ता है और उसके आने से पहले वह किसी दूसरे को बता दी जावे तो बड़ी उलझन उसके लिये हो जावेगी, वह फिर या तो झगड़ा करे या कचहरियों में मुकद्दमेबाजी करता फिरे। तो ऐसे केसेज़ अगर आ जावें तो उनके लिए यह क्लॉज़ रखना जरूरी था। तो इन केसेज़ के लिये यह जरूरी था। यह अमेन्डेड क्लॉज़ ४४ जो रक्खा गया है उसमें यही जरूरी समझा गया कि इसके लिए कोई न कोई प्रोविजन ऐसा रख दिया जावे कि झगड़ा पैदा न हो और इसलिये यह इस तरह का प्रोविजन रक्खा गया है कि जिसमें मैं नहीं समझता हूं कि नीम के थाने से आने वाले मेरे माननीय सदस्य को क्यों कोई एतराज है।

उनका जो सुझाव है वह सुझाव यह है कि पर्सनल कल्टीवेशन की जो डेफीनिशन दी है कि वह मैनेजर से एजेन्ट से या हायर्ड लेबर आदि से अपनी जमीन काश्त करा सकता है और ऐसी कल्टीवेशन भी पर्सनल कल्टीवेशन की डेफीनेशन में आ जाती है। अगर कोई शख्स बाहर जाता है और किसी के चार्ज में देकर जाता है तो अगर वे आपस में मिलकर बेईमानी करना चाहें तो इसको कौन रोक सकता है? अगर कोई बेईमानी करना चाहेगा तो करेगा और इसके करने के और भी दूसरे जरिये हैं। तो ऐसा प्रोविजन अगर न रक्खा जावे तो यह गलती होगी ऐसा प्रोविजन रक्खा जाना चाहिये ताकि ईमानदार आदमी को तो राहत मिल जावे। बेईमान की बेईमानी तो हर हालत में चल सकती है और जो क्लॉज़ किये हैं जरूर वे उनमें बेईमानी करेंगे, मैं इसको मानता हूं। पर अगर कोई ईमानदार आदमी अपनी किसी विवशता के कारण अपनी होल्डिंग को एबन्डन करके जाता है और किसी के चार्ज में देकर जाता है तो उस ईमानदार आदमी को राहत देने के लिए ऐसा प्रोविजन जरूरी है, ताकि वह आइन्दा आकर अपनी जमीन को दुबारा सम्भाल सके। यह भी पीरियड पांच साल से ज्यादा नहीं होगा और जिसके चार्ज में सौंप कर जाता है वह रेन्ट जमीन का बराबर देता रहेगा और आइन्दा पांच साल में जब लौट कर आवेगा तो अपना कब्जा कर लेगा। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो क्लॉज़ जिस हालत में प्रस्तुत किया गया है वह बिल्कुल दुरुस्त है। इसको इसी हालत में होना चाहिए और आयन्दा कॉन्टीन्जेसीज़ पैदा

[श्री श्यामलाल गोयल]

हों उनके लिए पूरा समावेश हो जाता है और जैसा कि एमेंडमेंट श्री अग्रवाल जी ने सजेस्ट किया है अगर वैसा एमेंडमेंट मन्जूर कर लिया गया तो इसका मतलब यह होगा कि उन गरीबों के साथ नेचर या और किसी तरह से कोई दुर्घटना हुई, कि उसके मवेशी वगैरह या उनके आर्थिक साधनों की कमी की वजह से लोकेलिटी को छोड़ना पड़े, वह हमेशा के लिए उस जमीन से हाथ धो बैठेगा। मैं यह समझता हूं कि उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है। अगर उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है तो उनको फौरन यह क्लॉज़ मन्जूर कर लेनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस क्लॉज़ का समर्थन करता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो ओरिजिनल क्लॉज़ और जो संशोधन यू० पी० एक्ट की धारा वाला इसमें रखा गया उन दोनों को मिलान करके देखेंगे तो सबसे पहले तो उसमें क्या अन्तर है वह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, और फिर उनमें कौन सा ठीक है और क्या इन दोनों में भी किसी संशोधन की आवश्यकता है; यह भी मैं अपने विचार के अनुसार आपके सामने रखना चाहता हूं।

सबसे बड़ी चीज जिस पर कि विचार हो रहा है वह यह है कि जो क्लॉज़ सिलेक्ट कमेटी से आया उसमें ७ साल का प्रोविजन है और सबलेटिंग का ५ साल का ७ साल से ५ साल कर दिया गया है यह चीज वास्तव में नहीं है। यह जो सिलेक्ट कमेटी से आया है उसमें भी ५ साल ही रखा हुआ है। वह मैं आपको निवेदन करूं कि ५ साल कहां है और किस तरह से है। उसमें आप देखिये ४४ क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (३) के पार्टिकुलर को तो उसमें यह दिया हुआ है कि :

"If the person so left in charge is not a person mentioned in sub-clause (3) the tenant shall, on the expiry of the period for which he could have sub letted, be deemed to have abandoned his holding."

तो "on the expiry of the period for which he could have sub-letted' तो आपने जब सबलेट करने के लिए ५ साल का पीरियड रखा है और इसमें भी वही पीरियड रखा हुआ है तो इसमें यह कहना कि सिलेक्ट कमेटी ने ७ साल का पीरियड कर दिया है, जब कि सबलेटिंग का ५ साल का है तो यह गलत है। सिलेक्ट कमेटी ने भी वही पीरियड रखा है जो कि सबलेटिंग का रखा है, चाहे पांच साल का रखें, चाहे ३ साल का रखें, चाहे ७ साल का रखें; यह आपकी मरजी है। इसमें क्लियर है - for the period for which he could have subletted." सबलेटिंग में जितने साल कर दिये हैं तो ५ साल इसमें हैं इसलिए यह कहना कि ७ साल गलत रखे जा रहे हैं। पांच साल सबलेटिंग में कर दिये तो यह फर्क है। यह मैं बता देना चाहता हूं। ७ साल का जो रखा गया है वह मतलब से रखा गया है। यह जो ७ का रखा गया है वह उन लोगों के लिए रखा गया है जो दरअसल में अपने

[श्री गोपीलाल यादव]

घरवालों के इन्तजाम के लिए जमीनों को छोड़ जाते हैं और वह जमीनें घर वालों के पास रहती हैं। इसलिए उसमें सब-लेटिंग का पीरियड २ साल का दे दिया है। इस पर श्रीमन्, विचार फरमायें वह यह है कि यह बड़ा क्लियर है -"if the person so left in charge is a person..." कौन ? "to whom the interests of the tenant shall devolve" यनि उसका सक्सेसर ही है। जब सक्सेसर के पास वह छोड़कर जा रहा है जमीन को तो उसको ७ साल दे दिया। सात साल के बाद सक्सेसर के नाम हो जायगी बजाय बाप के नाम रहे या दादा के नाम रहे। अगर सात साल के अन्दर वह आ जाता है-तो खुद के नाम रहती है, नहीं तो वह जमीन उसके ही खानदान के लोग जमीन के मालिक या खातेदार रहते हैं। एक खातेदार अपने बच्चे या नाती के पास जमीन छोड़ जाता है तो इसमें प्रोवीजन यह रखा है कि ७ साल तक अगर नहीं आये तो उसका बेटा सक्सेसर या नाती सक्सेसर है, उसके नाम दर्ज कर दी जायगी।

अगर वह (बी) के अनुसार किसी ऐसे आदमी के पास छोड़ जाता है - 'is ,whoto manage the holding for the benefit of the person on whom, in the event of the tenant's death, the tenant's interest would devolve." तो इसमें भी जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए वह इन्तजाम हुआ है वह वही परसन है जो कि सब-क्लॉज़ ३ के (ए) में दिया हुआ है कि टिनेन्ट्स की डेथ पर जिसकी उसके इन्ट्रेस्ट डिवोल्व हों। तो इसमें उसी के लिए छोड़ता है। किस आदमी के लिए छोड़ता है, किसके लिए वह काम कर रहा है, जिसके लिए कि छोड़ने वाला है; बेटे के लिए या नाती के लिए जिसमें इन्ट्रेस्ट होगा? तो मतलब यह है कि इसमें दो तरह के प्रोवीज़न्स हैं, श्रीमान्। एक तो यह है कि अगर चाहे जिस आदमी को इन्तजाम के लिए छोड़ा जाता है और एक यह है कि अपने सक्सेसर या रिवर्शनर को इन्तजाम के लिए छोड़ा जाता है। जहां सक्सेसर को इन्तजाम के लिए छोड़ता है तो ७ साल का पीरियड रखा है सबलेटिंग के लिए। उसकी डेथ या उसके एबन्डन्मेंट के बाद उसके सक्सेसर को उसका मालिक होना है। आज मालिक कर दिया जाय तो आज हो जायगा और पांच साल बाद मालिक कर दिया जाय तो ५ साल बाद नाम दर्ज हो जायगा और सात साल कर दें तो सात साल बाद नाम दर्ज हो जायगा। नाम दर्ज होता है सक्सेसर का इसलिए कि वह इन्तजाम करता है। मैं निवेदन करता हूं कि इसमें ७ साल की मियाद दी हुई है वह पांच साल सबलेटिंग वाली है उससे डिफरेन्ट है। यह सात साल की मियाद टिनेन्ट के लिए नहीं, सब लेटिंग के लिए नहीं, बल्कि अपने घर वालों के पास छोड़ने की है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ७ साल की मियाद ठीक है। यह रखी जाय।

इसके बाद ५ साल सबलेटिंग के रखे हैं। आखिरी सेक्शन में दिया हुआ है वह रखा जाय या दोनों के रखने की जरूरत है? एक चीज़ दोनों में ओमीशन है, वह मैं श्रीमान् से निवेदन करना चाहता हूं। वह क्या है? - "shall be deemed to have abandoned his holding" समझा जायगा, सोचा जायगा कि होल्डिंग छोड़कर चला गया है। आखिर होल्डिंग क्या हो? और वह कब हो? यह चीज़ इसमें नहीं है।

एक माननीय सदस्य—यह आगे दिया गया है।

श्री गोपीलाल यादव—आगे तो है, कौन से क्लॉज़ में है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—४५ और ४५ ए इन सब में दिया हुआ है।

श्री गोपीलाल यादव—ठीक है वह इनके अन्दर दिया हुआ है। यह चाहिए कि वह पीरियड लगा दिया जाय, लेकिन वह है। it is there. इसलिए यह क्लॉज़ जैसा कि इसमें दिया हुआ है, आपके ओरीजिनल बिल में, वह बिल्कुल सही है और यू. पी. वाली सेक्शन्स में वहां सिवाय इसके कि धाराओं का रद्दोबदल किया गया है कि सबसेक्शन जो उन्होंने लिया है वह आखीर में लिया है और बीच में यह चीज़ लगा दी गई है और एक चीज़ छोड़ दी गई है। एक चीज़ क्या छोड़ दी गई है ? घर वालों के इन्तजाम के लिए छोड़े तो ७ साल तक के लिए और दूसरों के लिए छोड़े तो ५ साल तक। इसलिए मैं यह समझता हूं कि इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। यू. पी. वाली (धारा) को रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि सेवन इयर्स वाली कन्डीशन उसमें बढ़ाई जाय, जहां कि वह घर वालों के लिए छोड़कर जाय।

श्री घीसीसिंह—क्लॉज़ ४४ में टिनेन्ट्स और सब टिनेन्ट्स के ऊपर वाद विवाद और विचार हो रह्यो है कि किस तरह से खातेदारान को राहत मिले, किस तरह से सब टिनेन्ट्स को राहत मिले। इन्हीं बातन के ऊपर यह सारी चर्चाएं चल रही है। अगर कोई बीमार हो जाय, कोई टी० बी० मरीज़ हो जाय, जेल में चल्यो जाय, इन सब बातन के ऊपर नजर डालेंगे कि कैसे वे सुरक्षित रहेलें, सब टिनेन्ट्स किस तरह से सुरक्षित रहें; लेकिन अभी तक कोई भी मेरी समझ में ऐसो नाहीं मिल्यो जिस निश्चय दोनन को फायदा हो। मेरा तो एक छोटा सा सुझाव है कि इस सब बातन के लिये कि जो जमीन छोड़ता है और जो टिनेन्ट्स है वह परदेश चला जाय, जेल में चला जाय तो वह जमीन को कोर्ट में छोड़ कर चला जाय, यह कानून बना दियो जाय। जब वह वापस आवे तो कोर्ट से जमीन वापिस लेले, नहीं तो सब टिनेन्ट्स के पास में रह जाय। तो सारे झंझट अलग हो सकते हैं। यह कोर्ट में कर दी जाय सारे मामले को।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—(चौधरी श्री मोतीराम के खडे होने पर) मेरा एमेंडमेंट है। मैं रिप्लाई दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—You have moved your amendment ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—I have also got the right of reply.

श्री उपाध्यक्ष—If he wants to reply, then......

एक माननीय सदस्य—आप अमेंडमेंट पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री गोपीलाल यादव—मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि ५ के बजाय ७ कर दिया जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी—कोई अमेंडमेंट मूव नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—मूव किया हुआ समझ लीजिये, उस पर बोला गया है। लिख कर दे देंगे।

एक माननीय सदस्य—बोलना और चीज है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—जब कि माननीय मन्त्रीजी मूव कर सकते हैं तो मैं इस अमेन्डमेन्ट को मूव क्यों नहीं कर सकता? हमें अमेन्डमेंट के बारे में मालूम ही नहीं है और न इसकी कॉपी ही दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष—मूव किया हुआ आपका मान लिया जायगा।

(हियर हियर)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस क्लॉज के सम्बन्ध में बहुत चर्चा हो चुकी है और नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य को इसका घोर विरोध करना था इसलिये उन्होंने इसका विरोध किया है वरना जो क्लॉज पहले सिलेक्ट कमेटी में स्वीकार किया गया और रद्दोबदल करके आज जो अमेन्डमेन्ट मूव किया गया है उसमें जहां ५ साल था उसके बजाय ७ साल कर दिया गया है: यू० पी० में जैसा है वैसा कर दिया गया है। इस पर केस लॉ भी है। लैंगवेज जो पहले थी वही है। मैंने जो अमेन्डमेन्ट किया है उसमें ५ ईयर्स के बजाय ७ ईयर्स करने के लिए श्री गोपीलालजी ने भी सुझाव रखा है, मैं चाहूंगा कि उसको सदन स्वीकार करले। इस पर ज्यादा कहने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, जो जवाब माननीय मंत्रीजी ने दिया है उससे मैं कभी सहमत नहीं हो सकता। मेरा ओब्जेक्शन यह है कि उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। यदि वे जवाब देते तो मैं इसको विद्ड्रा भी कर लेता। मेरा ओब्जेक्शन यह है कि सब क्लॉज़ (१) यह कहता है:

"(1) Subject to the provisions of snb-section (2) and (3), a tenant who ceases to cultivate and leaves the neighbourhood, shall not lose his interest in his holding if he leaves incharge thereof a person responsible for payment of rent as it falls due and given a written notice to the landholder of such arrangement."

प्रश्न यह है कि एक किसान जो अपनी जमीन छोड़ कर जाता है और अगर वह लैंड होल्डर को रिटन नोटिस नहीं देता है तो यह समझा जायगा कि उसने उस जमीन को तो एबन्डन कर

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

दिया है। यदि हम क्लॉज़ ४५ को देखें, जिसको हमने पास कर दिया है, तो उसमें लिखा हुआ है कि :

"Subject to the provisions of sections 26 and 27, where a tenant is presumed to have abandoned his holding, the Tehsildar shall, on his own motion, or on the application of the landholder, as the case may be, cause a proclamation to be issued and served or published in the prescribed manner, stating that the holding of snch tenant is intended to be treated as abandoned and entered upon and taken possession of accordingly unless reasonable cause to the contrary is shown.

(2) The Tehsildar, or landholder, as the case may be, may enter upon and take possesson of the holding if in response to the proclamation.

(i) No appearance is made and no reasonable cause to the contrary effect is shown either by the tenant who is presumed to have abandoned the holding or by any person on behalf of such tenant or on his own behalf, within a period of three mothes from the......"

तो मैं यह गुजारिश करना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष, कि एक टिनेन्ट को जमीन एबन्डन करके चला गया है और उसने अपने लेन्ड होल्डर को इस अरेन्जमेन्ट का नोटिस नहीं दिया है तो आप कहते हैं कि एबन्डन कर दिया लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके बाद लेन्ड होल्डर की दरख्वास्त पर तहसीलदार प्रोक्लेमेशन इशू करता है और बावजूद प्रोक्लेमेशन के यदि कोई आदमी ३ माह के अन्दर तहसीलदार के पास आकर कहता है कि मुझे वह जमीन सौंप गया था देखरेख करने के लिए इसलिए मैं इसका हकदार हूं तो वह जमीन एबन्डन नहीं होगी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि फिर लेन्ड होल्डर को नोटिस देने की क्या जरूरत है और वह देने पर क्यों मजबूर होगा, इसलिए क्लॉज़ ४५ में इमदाद है कि यदि टिनेन्ट नोटिस नहीं देगा तो एबन्डन समझा जायगा। क्लॉज़ ४५ कहता है कि यदि कोई आदमी इन्चार्ज बनाया गया है और प्रोक्लेमेशन के बाद ३ महीनों में आकर कहता है कि मेरा इन्चार्ज में नाम दिया था तो वाट इज़ दिस ? इसका मतलब क्या निकला ? यदि कोई टिनेन्ट नहीं दे और एबन्डन करदे तो एबन्डन नहीं है, ऐसी सूरत में नोटिस देना जरूरी नहीं है; एबन्डन कर देता है उसकी सूचना लेंड होल्डर को दी जानी चाहिए, ऐसा मन्त्रीजी अमेंडमेंट में कहते हैं। लेकिन यदि नहीं भी दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है। यह कैसा कानून हम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह कैसा कानून हम बना रहे हैं, इसलिए मैं यह गुजारिश करता हूं कि इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा—मौका एक और दे दीजिए।

श्री कपिलदेव अग्रवाल (जारी)–मौका क्या दिया जाय ? जब आपने क्लॉज़ ४५ में यह अधिकार दिया है कि प्रोक्लेमेशन जो तहसीलदार ने किया है उसके तीन ३ महीनों के अन्दर आकर जवाब पेश करदे तो मैं गुजारिश करता हूं कि नोटिस देने की फोर्मलिटी पर जाने की क्या जरूरत है ? देखरेख के लिए किसी आदमी को छोड़ कर गया है, उसको जाना नहीं पड़ता तो लैंड होल्डर और परेशान होगा। वह नोटिस देगा; तहसीलदार के पास दरख्वास्त देगा कि वह टिनेन्ट जमीन छोड़कर चला गया है इसलिए प्रोक्लेमेशन इशू करिये। जिस वक्त प्रोक्लेमेशन इशू होगा तो एक आदमी आकर कहेगा कि मेरे सुपुर्द करके गया था तो तहसीलदार की सारी कार्यवाही गलत हो जायगी और कहेगा कि भाई तुम्हारे सुपुर्द करके गया है तो तुम इन्तजाम करो।

दूसरी पोज़िशन यह हुई कि एक टिनेन्ट जमीन छोड़कर जाता है तो वह सब-टिनेन्ट छोड़ सकता है, उसके लिए इन्तजाम कोई दूसरे के सुपुर्द करके कर सकता है और बिना इन्तजाम किये भी जा सकता है, तो यह परिस्थिति कैसी कि जिसमें न तो कोई टिनेन्ट काश्त करता है और न कोई दूसरा इन्तजाम करता है। यदि नहीं इन्तजाम करता तो समझना चाहिए कि वह एबन्डन करके चला गया और यदि न भी करे एबन्डन तो ५ साल के लिए जो उसने लीज़ लिया है उसके अन्दर वापिस आकर काश्त कर सकता है, क्योंकि ५ साल का पीरियड कायम किया है तो पांच साल के लिए सब-टिनेंट मुकर्रर कर सकता है, तो क्या जरूरत आई कि इन्तजाम करे ? मान लीजिए सब टिनेंट मुकर्रर करना अच्छा नहीं समझता और अपने परिवार वालों में से किसी को सौंप कर जाता है तो एबन्डन करके जाने का प्रश्न नहीं उठता और यदि घर वाले काश्त करते हैं तो पर्सनल कल्टीवेशन समझा जायगा, एबन्डन का प्रश्न नहीं उठता। मान लीजिये तीसरी सूरत में कोई इन्तजाम नहीं करता और प्रोक्लेमेशन के १२ महीने के अन्दर दरख्वास्त पेश कर देता है कि दफा ४५ (ए) सब क्लॉज़ (२) के मुताबिक जिसमें लिखा है : "(2) Any such tenant may, within one year from the date of the service or publication of the proclamation issued under sub-section (1) or section 45, apply in the preseribed manner to the Tehsildar for his reinstatement and the restoration of his holding, and if he satisfies the Tehsildar of his having left the neighbourhood, he will be re-instated".

तो फिर मैं यह अर्ज करता हूँ कि इतनी सुविधायें दे रहे हैं। इसमें तीन केसेज़ पोसिबल हो सकते हैं। एक तो यह सब टिनेन्सी क्रियेट करके जाय। दूसरे, अगर वह इन्तजाम करके जाय तो उस इन्तजाम की वजह से वह पर्सनल कल्टीवेशन में आ जायगा। अगर ऐसा कल्टीवेटर हो जो किन्हीं परिस्थितियों की वजह से छोड़कर चला जाता है और इसको सूचना नहीं देता है, इसकी पेनल्टी नहीं है तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है ?

तो हमें सिर्फ इतना ही क्लॉज़ रखना चाहिए कि अगर कोई टिनेन्ट अपनी होल्डिंग, नम्बर हैड को छोड़कर चला जाता है तो हम यह नहीं कहते कि वह एबन्डन करके चला गया है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाय कि वह छोड़कर चला गया तो इस तरह माननीय रेवेन्यु मन्त्रीजी ने जो अमेंडमेंट रखा है वह रिडन्डेन्ट हो जाता है।

Page No.78

श्री उपाध्यक्ष—क्या आप इसे स्वीकार करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इसे स्वीकार नहीं करता ।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री कपिलदेव को उद्दिष्ट करके) क्या आप इसे प्रेस करते हैं ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हां साहब, नहीं मानते हैं तो वोट ले लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय रेवेन्यु मन्त्री जी ने क्लॉज़ ४४ पर प्रस्तुत किया है उसमें संशोधन श्री कपिलदेव अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया...

श्री कपिलदेव अग्रवाल—ठहरिये साहब, मैं विदड्रा करूंगा; मेरा मन नहीं चाहता तब भी व्हिप का...

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—घोड़ा उचक रहा था, चाबुक लगा तब सीधा हो गया ।

श्री गोपीलाल यादव—मन नहीं चाहता फिर भी विदड्रा ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—श्री गोपीलालजी यादव के कहने के माफिक मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री मथुरादास माथुर—मैं भी अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री मथुरादास माथुर अपना संशोधन वापिस लेने को इजाजत चाहते हैं। क्या हाउस की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री मथुरादास माथुर—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४४ के बजाय जो संशोधन श्री रेवेन्यु मिनिस्टर ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

श्री गोपीलाल यादव का भी एक अमेंडमेंट था ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—श्री गोपीलालजी का स्वीकार कर लिया था और उसे इसमें इम्प्लीमेंट भी कर लिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं । पुनः प्रश्न यह है कि श्री गोपीलाल यादव के संशोधन सहित श्री रेवेन्यु मिनिस्टर के वर्तमान क्लॉज़ ४४ के बजाय नया क्लॉज़ सब्स्टीट्यूट करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

नया सब्स्टीट्यूटेड क्लॉज़, श्री यादव के उसमें संशोधन सहित, स्वीकार किया गया और वह क्लॉज़ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ११६ ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस पर बहस चल रही थी, उसे मुल्तवी किया था, अभी इसे पेन्डिंग रखा जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ १२३ ।

श्री माथुरादास माथुर—बड़ा इम्पोर्टेन्ट सवाल है, इजेक्टमेंट का मामला है, १० मिनिट में क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—ये दस मिनिट फालतू क्यों खोये जांय । श्री मोतीलाल ।

श्री मोतीलाल—माननीय उपाध्यक्ष, समय बहुत थोड़ा है......

श्री उपाध्यक्ष—आप सार की बात ही कहे।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं सार की ही बात कहता हूं।

यह जो क्लाज़ १२३ है इसके ऊपर एक आधी सी लाइन में लिखा हुआ है—"Ejectment for arrear of rent." मेरा संशोधन यह है कि इस क्लाँज को डिलीट कर दिया जाय क्योंकि यह एक फालतू का मेटर है। १२३ को डिलीट कर देने से क्लॉज़ १२४, १२५, १२६, और १२७ ये सब अपने आप ही डिलीट हो जायंगे; क्योंकि यह एक फालतू का मेटर है।

इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप कानून बनाने जा रहे हैं, यह कानून राजस्थान का भूमि सम्बन्धी कानून है और राजस्थान के अन्दर १ करोड ५५ लाख जनता में से १ करोड ४० लाख किसान हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप संशोधन पर ही बोलिये।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं संशोधन पर आ रहा हूं। टीनेन्ट्स को खातेदारी राइट्स दिये हैं। राजस्थान में किसी भी जमीन जोतने वाले का आज से तीन वर्ष पहले १९४९ के पहले राइट्स नहीं दिये गये थे। ८, १० वर्ष पहले किसान को खातेदार टिनेन्ट माना गया और उस मुसीबत के बाद में एक किसान को जो जमीन जोतता है और अब भी उसे मौजूदा कानून में जिसे बनाने जा रहे हैं, खातेदारी राइट्स किसको मिलेंगे? लेकिन उसमें एक इजेक्टमेंट का क्लॉज़ आता है। उसमें यह लिखा है कि एरियर ऑफ रेन्ट जो दो वर्ष का नहीं देगा उसको जमीन से बेदखल कर दिया जायगा। इस चीज का मैं घोर विरोध करता हूँ। इसका कारण यह है, माननीय उपाध्यक्ष, कि मैं जिस सिद्धान्त को मान कर चलता हूँ और जिसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि किसी भी खातेदार को या टीनेन्ट को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जावे। इसका मतलब यह है कि कोई भी काम किसी सिद्धान्त के पीछे करता है और वह यह है कि वह कॉन्स्टीट्यूशन के नीचे करता है। उस काम के लिये वह स्टेट को कुछ टेक्स पे करता है. रेन्ट देता है। रेन्ट भी एक प्रकार का टेक्स ही है। जिस प्रकार इन्कम टेक्स, सेल टेक्स है उसी प्रकार रेन्ट भी एक जमीन का टेक्स है। उसकी जो जीविका का खेत है उसको प्रोप्राइटरी राइट्स है और उस राइट को आप उससे छीन नहीं सकते और अगर आप उसको छीनते हैं तो यह विधान के खिलाफ पड़ेगा। यह मेरी मान्यता है और किसी भी काश्तकार का रेन्ट जो दो साल, ७ या १० साल तक एरियर में पड़ जाते है तो उसको उसकी जमीन से बेदखल कर दिया जावे, यह बिलकुल गैर वाजिब है। मैं यह कहूंगा कि उसको कभी भी जमीन से बेदखल नहीं किया जाना चाहिये। आगे समय आने वाला है जिसमें किसान को उसके खेत से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा हर जमीन पर रेन्ट नहीं ले सकेंगे। जो रेन्ट ले रहे हैं वह टैक्स के खिलाफ, सिद्धान्त के खिलाफ पड़ता है। आप कानून बनाते हैं इसलिये कि स्टेट चलाने के लिये आपके पास पैसा नहीं है उसकी पूर्ति हो। आप इस हिसाब से रेन्ट लगाते हैं। आप यह नहीं देखते हैं कि किसान की इन्कम ज्यादा होती है या

[श्री मोतीलाल चौधरी]

कम। आप टैक्स को नहीं देख कर उस पर रेन्ट लगा देते हैं। फिर भी वह आपको देता हूं। उसको मुनाफा नहीं होता है या अकाल के कारण दो वर्ष का रेन्ट वह आपको नहीं दे सकता है। और इस कारण से आप उसको बेदखल कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि आप उसके प्रति और अन्याय करते हैं। आप देखेंगे कि इन्कम टैक्स देने वाले व्योपारियों को आपने ३ हजार के उपर टैक्स लगाया है और वे देंगे। इसी हिसाब से जमीन पर भी टैक्स होना चाहिये। लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं होने से मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह कहना था। वह भी समय आ रहा है जब आपको रेन्ट फ्री करना होगा। वह समय आने वाला है। विधान के अनुसार आप उनको नहीं हटा सकते। आप किसी व्योपारी को, जो इन्कम टैक्स नहीं देता है उसको व्योपार करने से नहीं रोक सकते हैं। मान लें कि एक लाइसेन्स मैं लेता हूं, मैं रूपया दर्ज नहीं करा सकता हूं। आप मुझे अपने व्योपार से नहीं रोक सकते, आप मुझे जेल भेज सकते हैं, मेरा घर छीन सकते है, मेरा सामान नीलाम करा सकते हैं मगर मझे बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। उसी तरह से यह भी उनके जीवन का धन्धा है, जमीन हैं, किसानोंको हक है। उस पर वह अपनी रोजी पैदा करता है और अपना खुद का पेट भरता है और अपने फेमिली का पेट भरता है। अगर वह एरियर नहीं दे तो कोई कारण हो सकता है। मगर एरियर नहीं देने के कारण से आप उसको जमीन से नहीं हटा सकते और यदि हटाते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आप उनके प्रति उचित व्यवहार नहीं करते। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से और सदन से आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि आप इस प्रतिबन्ध को मत लगाइये। आप टीनेन्ट पर कड़ी से कड़ी पाबन्दी लगा दीजिये, कड़ासे कड़ा कानून बना दीजिये, उसके बैल पकड़ लीजिये, उसका हल पकड़ लें, ट्रेक्टर पकड़ लें, कुआ निलाम कर दें, उसको जेल भेज दीजिये लेकिन उसको खेत से इजेक्ट नहीं करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्थिति उस काश्तकार की बिगड़ जावेगी और हमारे देश में जहां १०० में से ८० किसान का काम करते हैं वे इस कानून के मातहत लकीर पकड़े हुए लोगों के शिकार हो जावेंगे। आज का किसान १०० में से १०० अनपढ़ है। अगर आप उनकी आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि उनमें शिक्षा का प्रसार करें, वर्ना आपका देश बढ़ेगा नहीं। मेरा यह कहना है कि कोई इस प्रकार की घटना हो सकती है कि किसान को एक साल का रेन्ट देना है और बाकी पड़ा है। वह किसी कारण पकड़ा गया और जेल चला गया और इस कारण से रेन्ट अदा नहीं कर सका। उसको इस कानून के मातहत बेदखल होना पड़ेगा। कोई किसान बापो के नाम से खेती करते हैं, अगर कोई फसल खराब हो गई और वे लगान नहीं दे सकते तो उनको इजेक्ट होना पड़ेगा। इस तरह की कई घटनाएं आपके सामने आवेंगी। माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि पुरानी स्टेटों में सेटलमेंट हुआ था। उसका भार जागीरदारों पर भी था। किसानों को सेटलमेंट चार्जेज़ अदा करने पड़े और जागीरदारों को ५ वर्ष बाद जमा कराये गये।

श्री गोपीलाल यादव—आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यदि क्लॉज़ ११६ ए को मेरे माननीय मित्र पढें तो उनको मालूम होगा कि जो क्लॉज़ हमने पास किया है उनकी लाइट में चाहे

[श्री मोतीलाल चौधरी]

किसान के घर में लाखों रुपये भरे पड़े हो उसको कुर्क नहीं कर सकते हैं। अगर वह एरियर ऑफ रेन्ट नहीं देता है, तो आप रुपये नहीं छोड़ सकते हैं। आप तो उसको बेदखल ही करा सकते हैं। जब क्लॉज़ ११६ ए पास करा चुके हैं तो ये मोजू नहीं होता। इसलिये आप माननीय मंत्री महोदय से किसी तरह उसको नापास करावें या तीसरी पढ़त में ११६ ए को रद्द करावें।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय सदस्य ने बताया कि ११६ (ए) पास हो गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि १२३ को डिलीट कर दिया जावे तो ११९ भी डिलीट हो जावेगा। वह ११६ (ए) चुपचाप पास हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि यह भी पास हो जावे।

(सदन से आवाज, चुपचाप पास नहीं हुआ, बहुत शोर-गुल हुआ था)

माननीय सदस्यों ने सोचा नहीं। किसी कारण से पास हो गया है। उसके पास हो जाने से १२३ में रूकावट आती है। इसलिये मैं अपनी राय देकर...

एक माननीय सदस्य—समय हो चुका है।

श्री मोतीलाल चौधरी—हो सकता है कि जिस तरह से ११६ (ए) पास हो गया उसी तरह से यह भी पास हो जावे। क्लॉज़ ३५ या क्लॉज़ ३६ में होगा...

मैं यह कहूंगा कि वास्तव में किसी भी काश्तकार को एरियर ऑफ रेन्ट के लिये इजेक्ट नहीं किया जावे।

श्री मोतीलाल चौधरी—ऐसी क्या बात है? सदन के हाथ है। माननीय उपाध्यक्षजी, समय तो हो गया है। १२ बज गये हैं। आप चाहें तो मैं जारी रखूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप और बोलना चाहते का हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी—बहुत बोलने का है।

श्री **उपाध्यक्ष**—अच्छी बात है। चूंकि समय हो चुका है अतः आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है और सोमवार को......

("४बजे हो या प्रातः काल ८ बजे हो" ऐसा विवाद)

आठ बजे प्रातः काल मीट करनेसे काम ज्यादा होता है और चार बजे कम, आप चाहें जैसा तय कर लीजिये।

("सबेरे बुलाइये" ऐसी आवाज़)

Page No.83

श्री मोतीलाल चौधरी—यह परम्परा रही है कि सोमवार को शाम को होता है।

श्री उपाध्यक्ष—जहां तीन-चार दिन मिल गये थे, घर जाने के लिए इस वजह से शाम को सेशन किया गया था। घर जाने का मौका दिया गया था।

(विराम)

सोमवार को ८ बजे प्रातः काल सेशन होगा।

(सदन की कार्यवाही १२ बजकर २ मिनट पर, दिनांक २० सितम्बर, १९५४ को प्रातः काल ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाक, १७ सितम्बर, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।